Appendix A(i)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA PRESENTATION FORM FOR CIVIL MATTERS

PRESENTATION FORM FOR Columns in dark to be fill	ed in by the Registry
Title Code	Subject Matter
No.	
man variate 226	(ofters) University Service
ions of continuity	Matter
ciet Code publication and	The state of the s
ore Single Judge / Division Beach / Spl. Beach	Code
	Act Code
titioner's/Appellant's/Applicant's riginal Party Name, Age & Gender)	Presented With Court Fee Stamp:
fon Kumer, sex-Male see this No. E-mail ID & Address (with pin code)	23 years On the Memo 250
Shile No., E-mail ID & Address (with pin code)	
9 4310 43413 Advocate's Name Code	On the Vakalatnama
vruskettamKr/kg 03189	Rs. 15/-
Versus	On the Certified Copies
espondent's/ Opponent's (Original Party ame, Age & Gender)	Rs. gro
	On the Affidavit
G exaceller of boisessitt	Rs. 25/-
Sebile No., E-mail ID & Address (with pin code)	Tetal Rs. 285/
Advocate's Name Code	22/
	Total (in words) Rupees
articulars of the Court / Authority below Code	Advocates' Welfare Fund Stamp
DEPARTMENT OF THE PARTMENT OF	Rs. 9/
Case Type Manust	Presented for out
Parfe 2029	Presented by Sky (Sign.)
Date of impogned decision/order	CANTESH KUMPKINGS I WANTE
late of impogned occasion of sec	This 06 day of 67 2024
Particulars of the Court / Authority Corie	Received By
of first instance	Entries Entries
一种大学	Made By
Case Type Number Year	Ciwcked By
	Received additional Court Fee
Corp 2001	
Date of decision / order of Court /	Stamp of Rs.
	Stamp of Rs. Total (in words) Rupees
Date of decision / order of Court / Authority of first instance	Stamp of Rs. Total (in words) Rupees This 06 day of 0.3 20 24
Date of decision / order of Court /	Stamp of Rs. Total (in words) Rupees

Advocate:

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No.

of 2021

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India,

And

In the matter of;

Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex – Male, S/o Jitendra Singh, R/o Village – Jagdishpur, P.O.+P.S. – Maharajganj, Distt – Siwan, PIN - 841238.

PETITIONER

Versus

- The Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna.
- The Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Governor Secretariat,
 Raj Bhawan, Patna.
- The Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna.
- The J.P. University, Chapra through its Registrar.
- 5. The Vice Chancellor, J.P. University, Chapra.
- Dr Ravi Prakash "Babloo", Associate Professor, Department of Philosophy, H.R.College, Mairwa (a constituent unit of the J.P.University, Chapra), presently posted as the Registrar, J.P. University, Chapra.
- The State of Bihar, through the Additional Chief Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna - 800015

... RESPONDENTS

Rectued Two cons R. H. GUALADO FORTE on an ocasov A.o. A. 01482 317121 NOTICE From, Avanindes Kumas The chinle-39, B.B.C.B.
(Mob No. - 9199627875) Patris Light court, Patris (Mob No. - 9199427875 Advocate for the Petitioner, Patna High Court, Patna. Petitioner The chancellos of university 808 Opposite Party.

To,

Cr. Misc No. of 2021 Ref :-

Karan Kumar

Sir,

Please take notice that the above mentioned case is going to be filed a copy of which is being served to you for your use and information.

Section Officer Receiving Incharge Advocate Street Office,

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.

/ 2021

Rajan Kumar

.... Petitioner

Versus

The Chancellor of Universities, & Ors Respondents

INDEX

Subject: - (Others) University Service Matter

SI		Particulars	Page
1	SY	NOPSIS with List of Dates & Events	I-VII
2	An application under Article 226 of the Constitution of India with an affidavit and petitioner's adhar card		1 - 20
3	Ann – 1	A true copy of Memo no BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021	21
4	Ann - 2	A true copy of Letter No.4570 - Est-I dated 19.05.2021	22
5	Ann 3 & 4	True copies of representations of the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021	23 - 28
6	Ann -5, 6, 7 & 8	True copies of the Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dt 30.01.2015; Saran Sadar Mufassil P.S.Case No. 261 / 15 dt 16.10.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 15 dt 31.12.2015 & Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347/15 dated 31.12.2015	29 - 66
7	Ann - 9	A true copy of Ref. No. J.P.U 21 / 2014 -	67

		1294 dated 04.09.2015	
8	Ann - 10	A true copy of Ref. No. J.P.U 27 / 2015 - 1309 dated 10.09.2015	68
9	Ann - 11	A true copy of the Charge Sheet dated 12/13.10.2015 in Vigilance P.S.Case No. 10/2015	69 - 75
10	Ann – 12 & 12 /1	A true copy of Memo No. JPU - 21 / 2014- 1628 / GS(I) dated 02.12.2015 along with order dated 02.12.2015 of the Hon'ble Chancellor	76 – 78
11	Ann - 13	A true copy of Memo No. JPU - 27/ 2014 - 1595 / GS (I) dated 26.11.2014	79
12	Ann 14 & 15	True copies of Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 & Letter No. 1660 dt 24.12.2014	80 - 81
13	Ann - 16	A true copy of Letter No. VC 539 dated 09.12.2015	82
14	Ann 17 & 18	True copies of Letter No. JPU (Appeal) – 13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 and Memo No. 7254 / R dated 19.12.2015	83 - 89
15	Ann - 19	A true copy of Letter No. 7912 - Est I (R) dated 30.07.2016	90 - 91
16		VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No.

/ 2021

Rajan Kumar Petitioner

Versus

The Chancellor of Universities, & others ... Respondents

Synopsis

- I. To hold and declare that the Respondent No. 5, who has been facing serious charges of corruption (in relation where to Vigilance P.S. Case No. 10/2015 has been instituted against the petitioner, and in relation whereto, one other Coaccused namely Professor Dwijendra Gupta, the then Vice Chancellor of the Respondent University has been dismissed by the then Chancellor of Universities vide order dated 02.12.2015 (Annexure -) from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra,) and is accused in several other criminal cases, could have not been appointed on the important post of Registrar of the J.P.University, Chapra.
- II. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Notification as contained in Memo no BSU (Registrar) 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 issued by the Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna (Respondent No.2) whereby and where under the Respondent No. 5 (who is named accused in at least Six (6) criminal cases, have been appointed on the post of Registrar, J.P. University, Chapra, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar.

A true copy of Memo no BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 is annexed herewith as **Annexure - 1** to this writ petition.

III. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Office Order as contained in Letter No.4570 – Est - 1 dated 19.05.2021 issued by the Registrar of the Respondent University whereby and where under it has been held out that pursuant to the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar as contained in Annexure – 1 to this writ petition, the Respondent No. 5 has assumed the charge on the post of Registrar, J.P. University, Chapra in the

afternoon of 19.05.2021 itself.

A true copy of Letter No.4570 - Est-1 dated 19.05.2021 is annexed herewith as **Annexure - 2** to this writ petition.

IV. To hold and declare that the action of the Respondent No. 1 in not taking final decision in connection with the representations submitted by the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 is highly illegal, arbitrary, malafide malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and is fit to be deprecated by this Hon'ble Court in strong words.

True copies of representations of the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 are annexed as **Annexure - 3 & 4** to this writ petition.

V. For grant of any other relief or reliefs to the petitioner may be found entitled to in the given facts and circumstances of this case.

The petitioner, a student of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan and during 2018 election, the petitioner was elected as the President of the Student Union of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan (a constituent Unit of the J.P.University, Chapra) and he has regularly been pursuing for the protection of the interest of the students and smooth teaching of the students in the College in hand and the Respondent University.

The Respondent No. 5 has been involved in several Criminal Cases, on account of which, the Respondent No. 1 could have not been appointed on the post of Registrar of the J.P.University, Chapra. The petitioner has brought on record the details of the crimininal case in paragraph no. 5 in a tabular chart.

In view of the facts narrated herein above it becomes crystal clear that the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 on the post of J.P.University, Chapra is wholly unsustainable, for the reason that against the Respondent No. 5 several criminal cases have been lodged.

27.11.2014 In compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of

	Universities, the then Vice Chancellor of the Respondent University on the one hand by way of issuing Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 relieved the Respondent No. 5 to join R.B.G.R.College, Maharajganj, and on the other hand issued yet another order deputing the Respondent No. 5 again in the University. This fact in itself shows that the order of the Hon'ble Chancellor of Universities were being flouted by the then Vice Chancellor of the University in hand as well as by the Respondent No. 5.
30.01.2015	Said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015 has been lodged in connection with the large scale financial irregularities committed by the authorities concerned of the Respondent University including the Respondent No. 5.
04.09.2015	In connection with the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. – 21 / 2014 – 1294 dated 04.09.2015
10.09.2015	In connection with the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. – 27 / 2015 – 1309 dated 10.09.2015, addressed to the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna, had granted sanction for prosecution against the Respondent No. 5, under section 19 of Prevention of Corruption act'1988 and Section 197 of the Code of Criminal Procedure.
12/13.10.15	Consequent upon grant of sanction of prosecution by the Hon'ble Chancellor of Universities vide Annexure - 9 & 10 to this writ petition, the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna filed Charge Sheet against the persons accused including the then Vice Chancellor of the Respondent University as well as the Respondent No. 5 on 12/13.10.2015 in the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015.

24.11.2015	Under the order of Chancellor's Secretariat as contained in Letter
	No. JPU - 27 / 2015 - 1607 ₹ (1) dated 24.11.2015, the
	Respondent University by way of issuing Letter No. VC 539 dated 69.12.2015 removed the Respondent No. 5 from the post of Registrar / CCDC / PRO of the Respondent University with immediate effect, with a further direction to the Respondent No. 5 to join his parent organization i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj. Siwan.
02.12.2015	Based upon the said charge of gross / serious charge of financial irregularity as contained in Annexure – 5 & 11 of this writ petition the Respondent No. 1 passed an order on 02.12.2015, under Section 11 (2) of the Bihar State Universities Act 1976, whereby the said Prof. Dwijendra K Gupta has been removed from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra
	The Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar (the Respondent No. 1), ordered for reverting back the services of the Respondent No. 5 to his parent College i.e., R.B.G.R.College Maharajganj with immediate effect. The said order of the Hon'ble Chancellor of Universities came to be communicated by the Additional Secretary, Governor's Secretariat, Bihar to the Vice Chancellor of the Respondent University vide Memo No. JPU – 27, 2014 – 1595 / GS (I) dated 26.11.2014, whereby the Vice Chancellor of the Respondent University had been directed to comply with the said order of the Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar immediately. It is further stated here that the copy of the said order had also been sent to the Respondent No. 5 for information and necessary action into the matter.
19.12.2015	Based upon the said charge of gross/serious charge of financial irregularity as contained in Annexure -5 &11 of this writ petition and on the basis of the order passed by the Hon'ble Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU – 27 / 2015 – 1607 /GS(I) dated 24.11.2015, the Respondent No. 5 was placed under

suspension with immediate effect and to the said effect an Office Order was issued by the Registrar of the Respondent University vide Memo No. 7255/R dated 19.12.2015. It is further stated here that vide Memo No. 7254/R dated 19.12.2015 seven other officers of the Respondent University were also placed under suspension, who had been facing the said charge of financial corruption in the Respondent University. 28.07.2016 The Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by a common order dated 28.07.2016 disposed of the said appeals preferred by the Respondent No. 5 and seven other officers of the J.P.University, Chapra, which came to be communicated by the O.S.D. (Judicial) vide Letter No. JPU (Appeal) -13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 to the parties concerned. The Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna in his said order dated 28.07.2016 has observed in an unambiguous terms that :-"The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceeding against the appellants and the committee was of the opinion tha, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated /selection / appointed to any statutory body / committee of the University till the pendency of the case in the High Court. Also they may be transferred to other colleges / departments as punitive major after revocation of their suspension." The University further submitted that an F.I.R. was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files."

30.07.2016

In compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna dated 28.07.2016, the then Registrar of the Respondent University vide Letter No. 7912 – Est I (R) dated 30.07.2016 revoked the order of suspension of the said eight persons including the Respondent No. 5 from the date of their suspension. By the said order dated 30.07.2016, the Respondent J.P.University, Chapra has passed further following order in relation to the said eight teachers of the Respondent University including Respondent No. 5:-


"Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect, until further order to the college where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above."

The facts narrated herein above make it crystal clear that the finding recorded by the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, is holding its field and the same has not been altered / modified by any competent authority / forum / court. Thus in the given facts of the case and in view of the recommendation of the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, the Respondent No. 5 could have not been appointed as the Registrar of the Respondent University.

In addition to the said facts, one more important fact is there against the Respondent No. 5 that he is involved in several (7) criminal cases (detailed in paragraph no. 5 of this writ petition) as such, the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University by the Respondent No. 1 is wholly illegal / arbitrary / malafide / malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and on this score also the order impugned dated



19.05.2021 (Annexure - 1) is fit to be set aside by this Hon'ble Court As per the prevailing norms appointment on the post of Registrar in a University can be made on the basis of the recommendation of the duly constituted search committee, but the Respondent No. 5 has been appointed by the Respondent No. 1 without there being any recommendation of the duly constituted search Committee, as such the appointment of the Respondent no. 5 as the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is wholly without jurisdiction, as such is fit to be set aside by this Hon'ble Court. If the said illegal and unauthorised appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is allowed to continue, the same will cause many fold problems in the smooth functioning of the Respondent University and on account of the same the evidences relating to the pending criminal cases lying in the Respondent University may adversely be tampered with by the Respondent No. 5. The petitioner for getting his said grievances settled has approached the Respondent No. 1 vide Annexure - 3 & 4 to this writ petition, but the Respondent No. 1, for the reasons best known has preferred to sit tight over the matter. It is further submitted here that the copies of Annexure - 3 and 4 have also been sent to other authorities concerned including the Additional Chief Secretary, Department of Education. Bihar, Patna, but of no avail, hence the petitioner has been left over with no other option but to move before this Hon'ble Court for the redressal of his grievances so raised in paragraph no. 1 of this writ petition. HENCE THIS WRIT PETITION



TT 0000950452

GOVERNMENT OF BIHAR e-Court Fee

DATE & TIME :

NAMES OF THE ACC. REGISTERED USER :

LOCATION :

NAME OF LITIGANT :

e-COURT RECEIPT NO

Column !

e-COURT FEE AMOUNT:

06-JUL-2021 14:50:18

BIHAR SHOIL PATNA

- HIGH COURT PATNA

RAJAN KUMAR

BRCT0650G2149O336

£285

(Rupees Two Hundred Eighty-Five Only)



BRCT0650G2149C336

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shorlestamp.com. Any thecrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & looking by the Court Official.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

21 22 91 C.W.J.C. No.

of 2021

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India,

And

In the matter of;

Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex – Male, S/o Jitendra Singh, R/o Village – Jagdishpur, P.O.+P.S. – Maharajganj, Distt – Siwan, PIN - 841238.

PETITIONER

Versus

- 1. The Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna.
- The Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Governor Secretariat,
 Raj Bhawan, Patna.
- 3. The Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna.
- 4. The J.P. University, Chapra through its Registrar.
- 5. The Vice Chancellor, J.P. University, Chapra.
- Dr Ravi Prakash "Babloo", Associate Professor, Department of Philosophy, H.R.College, Mairwa (a constituent unit of the J.P.University, Chapra), presently posted as the Registrar, J.P. University, Chapra.
- The State of Bihar, through the Additional Chief Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna - 800015

... RESPONDENTS

To

The Hon'ble Mr Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and His companion Justice of the said Hon'ble Court.

> The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

 That instant writ application is being filed on behalf of the petitioner above named, praying inter-alia for grant of the following

RELIEF(S):-

- 1. To hold and declare that the Respondent No. 5, who has been facing serious charges of corruption (in relation where to Vigilance P.S. Case No. 10/2015 has been instituted against the petitioner, and in relation whereto, one other Co-accused namely Professor Dwijendra Gupta, the then Vice Chancellor of the Respondent University has been dismissed by the then Chancellor of Universities vide order dated 02.12.2015 (Annexure) from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra,) and is accused in several other criminal cases, could have not been appointed on the important post of Registrar of the J.P.University, Chapra.
- II. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Notification as contained in Memo no BSU (Registrar) -

27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 issued by the Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna (Respondent No 2) whereby and where under the Respondent No. 5 (who is named accused in at least Six (6) criminal cases, have been appointed on the post of Registrar, J.P. University, Chapra, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar.

A true copy of Memo no BSU

(Registrar) - 27/2017-698/GS(I)

dated 19.05.2021 is annexed

herewith as Annexure - 1 to this

writ petition.

III. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Office Order as contained in Letter No.4570 – Est - I dated 19.05.2021 issued by the Registrar of the Respondent University whereby and where under it has been held out that pursuant to the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar as contained in Annexure – 1 to this writ petition, the Respondent No. 5 has assumed the charge on the post of Registrar, J.P. University, Chapra in the afternoon of 19.05.2021 itself.

A true copy of Letter No.4570 - Est-I dated 19.05.2021 is annexed herewith as <u>Annexure - 2</u> to this writ petition.

IV. To hold and declare that the action of the Respondent No. 1 in not taking final decision in connection with the representations submitted by the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 is highly illegal, arbitrary, malafide malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and is fit to be deprecated by this Hon'ble Court in strong words.

True copies of representations of the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 are annexed herewith as

Annexure - 3 & 4 to this writ petition.

- V. For grant of any other relief or reliefs to the petitioner may be found entitled to in the given facts and circumstances of this case.
- That the instant writ petition is sought to be maintained on amongst other the following main

GROUNDS:-

I. Whether the Respondent No. 5, accused in several criminal cases including Vigilance P.S.Case No. 010/2015 dated 30.01.2015 (Annexure - 5), could have been appointed on the post of Registrar of the J.P.University, Chapra, particularly in view of the fact that the then Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar himself has dismissed Professor Dwijendra Gupta, the then Vice Chancellor of J.P. University, Chapra, a Co-accused in the said Vigilance P.S.Case No. 010/2015 dated 30.01.2015?

- II. Whether the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 as the Registrar of the J.P.University, Chapra can be said to be justified, particularly in view of the fact that the Respondent No. 5 is involved in many criminal cases and at the top of it, against him (the Respondent No. 5) there has been the order of the competent authority of the Respondent University to the effect that in future the Respondent No. 5 will not be assigned any work of "Administrative Responsibility"?
- III. Whether the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the J.P.University, Chapra will adversely affect the evidence in connection with the pending Vigilance P.S.Case No. 10 / 2015 ?
- IV. Whether the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University, will adversely affect the smooth functioning of the Respondent University?
- V. Whether the action of the Respondent No. 1 in not considering and deciding the representation of the petitioner dated dated 08.06.2021 and 05.07.2021 is illegal, arbitrary, malafide, malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and is fit to be deprecated by this Hon'ble Court in strong words?
- VI. Whether the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is in

the teeth of the prevailing policy decision, which provides in an unambiguous terms that the appointment on the post of Vice Chancellor / Pro-Vice Chancellor and Registrar of the Universities in Bihar will be made on the basis of the recommendation of the duly constituted Search Committee?

VII. Whether in the given facts of the case, the order of appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the J.P.University, Chapra is fit to be set aside by this Hon'ble Court?

- That the petitioner is citizen of India and the cause of action for filing the instant writ petition has arisen and is lying within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
- 4. That it is stated and asserted here that the petitioner, a student of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan and during 2018 election, the petitioner was elected as the President of the Student Union of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan (a constituent Unit of the J.P.University, Chapra) and he has regularly been pursuing for the protection of the interest of the students and smooth teaching of the students in the College in hand and the Respondent University. The petitioner craves the leave of this Hon'ble Court to produce the copy of the certificate granted by the Chief Election Officer of the said 2018 Election of the Student Union of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan, at the time of argument of this case, if required / directed by this Hon'ble Court.
- That it is stated and asserted here that the Respondent No. 5 has been involved in several Criminal Cases, on account of which, the Respondent


No. 1 could have not been appointed on the post of Registrar of the J.P.University, Chapra. The petitioner has been advised to bring on record, the detailed information as to the Criminal Cases lodged against the Respondent No. 5 in the following table, consideration whereof is required for the just and proper decision of this case:-.

SI	Details of the Criminal case lodged against the	Status of
	Respondent No. 5 namely Dr. Ravi Prakash "Babloo"	the case
1.	Complaint Case No. 1239 / 2013, filed before the Learned C.J. M.Gopalganj on 20.05.2013 by Nibha Devi W/o Sanjay Mahto, R/o Belsand, P.S. – Barauli, District – Gopalganj, in connection with the incidence taken place on 18.05.2013 at 10 A.M., under Section 323, 452, 382, 380, 354 IPC	Pending
2.	Complaint Case No. 2736 / 2013, filed before the Learned C.J. M.Gopalganj on 03.10.2013 by Rina Devi W/o Bhola Yadav, R/o Madhopur, P.S. – Barauli, District – Gopalganj, in connection with the incidence taken place in between 14.11.201 to 03.10.2013, alleged offence under Section 323, 364, 367, 379 & 34 IPC	Pending
3.	Patna Vigilance P.S.Case No. 010 / 2015 dated 30.01.2015, under section 409, 420, 467, 468, 471, 477(A), 34, 120 (B) IPC; 13(2) read with Section 13 (1) (D) of Prevention of Corruption Act 1988	Pending
4.	Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 261 / 2015 dated 16.10.2015 lodged by Ray Ranvijay Dev, Sectional Officer, J.P.University Chapra under Section341, 342, 323, 504, 506 & 34 LP.C.	Pending
5.	Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 2015 dated 31.12.2015 lodged by Prof. Uma Shankar Yadav, Proctor, J.P.University Chapra under Section 420/409/120 (B) & , 34 I.P.C.	Pending
6.	Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347 / 2015 dated 31.12.2015 lodged by Raj Kishore Prasad Singh, Finance Officer, J.P.University Chapra U/s 420/409 & 34 I.P.C.	Pending

The petitioner has been advised to bring on record the true copies of the Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 261 / 15 dated 16.10.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 15 dated 31.12.2015 & Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347 / 15 dated 31.12.2015 contents whereof are self - explanatory. The petitioner, however craves the leave of this Hon'ble Court to produce the copies of the said Complaint Case No. 1239 / 2013 and Complaint Case No. 2736 / 2013 at the time of argument of this case, if required / directed by this Hon'ble Court.

True copies of the Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dt 30.01.2015; Saran Sadar Mufassil P.S.Case No. 261 / 15 dt 16.10.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 15 dt 31.12.2015 & Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347/15 dated 31.12.2015 are annexed as Annexure – 5, 6, 7 & 8 to this writ petition.

6. That in view of the facts narrated herein above it becomes crystal clear that the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 on the post of J.P.University, Chapra is wholly unsustainable, for the reason that against the Respondent No. 5 several criminal cases have been lodged.



- 7. That it is stated and asserted here that the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015 has been lodged in connection with the large scale financial irregularities committed by the authorities concerned of the Respondent University including the Respondent No. 5.
- 8. That it is stated and asserted here that in connection with the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. 21 / 2014 1294 dated 04.09.2015, which was addressed to the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna, granted sanction for prosecution against the then Vice Chancellor of J.P.University, Chapra namely Professor Dwijendra Gupta, under section 19 of Prevention of Corruption act'1988 and Section 197 of the Code of Criminal Procedure..

A true copy of Ref. No. J.P.U. – 21 / 2014 – 1294 dated 04.09.2015 is annexed herewith and marked as Annexure – 9 to this writ petition.

9. That it is stated and asserted here that in connection with the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. – 27 / 2015 – 1309 dated 10.09.2015, addressed to the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna, had granted sanction for prosecution against the Respondent No. 5, under section 19 of Prevention of Corruption act'1988 and Section 197 of the Code of Criminal Procedure.



A true copy of Ref. No. J.P.U. – 27 / 2015 – 1309 dated 10.09.2015 is annexed herewith and marked as Annexure – 10 to this writ petition.

10. That it is stated and asserted here that the consequent upon grant of sanction of prosecution by the Hon'ble Chancellor of Universities vide Annexure - 9 & 10 to this writ petition, the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna filed Charge Sheet against the persons accused including the then Vice Chancellor of the Respondent University as well as the Respondent No. 5 on 12/13.10.2015 in the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015.

A true copy of the Charge Sheet dated 12/13.10.2015 in Vigilance P.S.Case No. 10/2015 is annexed herewith as **Annexure - 11** to this writ petition.

11. That it is stated and asserted here that based upon the said charge of gross / serious charge of financial irregularity as contained in Annexure – 5 & 11 of this writ petition, the Respondent No. 1 passed an order on 02.12.2015, under Section 11 (2) of the Bihar State Universities Act'1976, whereby the said Prof. Dwijendra K Gupta has been removed from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra. It is pertinent to mention here that the copy of the said order dated 02.12.2015 passed by the Respondent No. 1 had been communicated by the Respondent No. 2 to the

parties concerned vide Memo No. JPU - 21 / 2014 - 1628 / GS(I) dated 02.12.2015.

A true copy of Memo No. JPU – 21

/ 2014-1628 / GS(I) dated

02.12.2015 along with order dated

02.12.2015 of the Hon'ble

Chancellor are annexed herewith as

Annexure -12 & 12/1 to this writ petition.

12. That it is stated and asserted here that the Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar (the Respondent No. 1), ordered for reverting back the services of the Respondent No. 5 to his parent College i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj with immediate effect. The said order of the Hon'ble Chancellor of Universities came to be communicated by the Additional Secretary, Governor's Secretariat, Bihar to the Vice Chancellor of the Respondent University vide Memo No. JPU – 27/ 2014 – 1595 / GS (I) dated 26.11.2014, whereby the Vice Chancellor of the Respondent University had been directed to comply with the said order of the Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar immediately. It is further stated here that the copy of the said order had also been sent to the Respondent No. 5 for information and necessary action into the matter.

A true copy of Memo No. JPU – 27/ 2014 -1595 / GS (I) dated 26.11.2014 is annexed herewith as Annexure -13 to this writ petition. 13. That it is sated and asserted here that in compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of Universities, the then Vice Chancellor of the Respondent University on the one hand by way of issuing Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 relieved the Respondent No. 5 to join R.B.G.R.College, Maharajganj, and on the other hand issued yet another order deputing the Respondent No. 5 again in the University. This fact in itself shows that the order of the Hon'ble Chancellor of Universities were being flouted by the then Vice Chancellor of the University in hand as well as by the Respondent No. 5. It is further stated here that the Hon'ble Chancellor of Universities having learnt as to the said action of the then Vice Chancellor of the University in deputing the Respondent No. 5 in University again, asked for a show cause from the then Vice Chancellor of the University vide Letter No. 1660 dated 24.12.2014 of the Additional Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna.

True copies of Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 and Letter No. 1660 dated 24.12.2014 are annexed herewith as <u>Annexure – 14 & 15</u> to this writ petition.

14. That it is stated and asserted here that under the order of Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU – 27 / 2015 – 1607 रा॰ स॰ (1) dated 24.11.2015, the Respondent University by way of issuing Letter No. VC 539 dated 09.12.2015 removed the Respondent No. 5 from the post of Registrar / CCDC / PRO of the Respondent University with immediate

effect, with a further direction to the Respondent No. 5 to join his parent organization i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan.

A true copy of Letter No. VC 539 dated 09.12.2015 is annexed herewith as **Annexure -16** to this writ petition.

15. That it is stated and asserted here that based upon the said charge of gross/serious charge of financial irregularity as contained in Annexure -5 &11 of this writ petition and on the basis of the order passed by the Hon'ble Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU – 27 / 2015 – 1607 /GS(I) dated 24.11.2015, the Respondent No. 5 was placed under suspension with immediate effect and to the said effect an Office Order was issued by the Registrar of the Respondent University vide Memo No. 7255/R dated 19.12.2015. It is further stated here that vide Memo No. 7254/R dated 19.12.2015 seven other officers of the Respondent University were also placed under suspension, who had been facing the said charge of financial corruption in the Respondent University.

It is further stated here that the Respondent No. 5 had assailed the order of his suspension dated 19.12.2015 before the Hon'ble Chancellor of University in a duly constituted Appeal being File No. JPU – 27 /2014.

It will not be out of place to mention here that said seven officers had also preferred appeal separately before the Hon'ble Chancellor of Universities against the order of their suspension dated 19.12.2015.

The Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by a common order dated 28.07.2016 disposed of the said appeals preferred by the Respondent No. 5 and seven other officers of the J.P.University, Chapra, which came to be communicated by the O.S.D. (Judicial) vide Letter No. JPU (Appeal) -13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 to the parties concerned.

True copies of Letter No. JPU (Appeal) – 13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 and Memo No. 7254 / R dated 19.12.2015 are annexed as Annexure - 17 & 18 to this writ petition.

16. That it is stated and asserted here that the Hon'ble Chancellor of Universoties, Raj Bhawan, Patna in his said order dated 28.07.2016 has observed in an unambiguous terms that:-

"The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceeding against the appellants and the committee was of the opinion tha, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated /selection / appointed to any statutory body / committee of the University till the pendency of the case in the High Court.

Also they may be transferred to other colleges /

departments as punitive major after revocation of their suspension."

The University further submitted that an F.I.R.was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files."

17. That it is stated and asserted here that in compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna dated 28.07.2016, the then Registrar of the Respondent University vide Letter No. 7912 – Est 1 (R) dated 30.07.2016 revoked the order of suspension of the said eight persons including the Respondent No. 5 from the date of their suspension. By the said order dated 30.07.2016, the Respondent J.P.University, Chapra has passed further following order in relation to the said eight teachers of the Respondent University including the Respondent No. 5:-

"Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect, until further order to the college where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above."

A true copy of Letter No. 7912 – Est I (R) dated 30.07.2016 is annexed here as <u>Annexure – 19</u> to this writ petition.

- 18. That it is stated and asserted here that the facts narrated herein above make it crystal clear that the finding recorded by the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, is holding its field and the same has not been altered / modified by any competent authority / forum / court. Thus in the given facts of the case and in view of the recommendation of the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, the Respondent No. 5 could have not been appointed as the Registrar of the Respondent University.
- 19. That it is further submitted here that in addition to the said facts, one more important fact is there against the Respondent No. 5 that he is involved in several (7) criminal cases (detailed in paragraph no. 5 of this writ petition) as such, the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University by the Respondent No. 1 is wholly illegal / arbitrary / malafide / malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and on this score also the order impugned dated 19.05.2021 (Annexure 1) is fit to be set aside by this Hon'ble Court.
- 20. That in addition to the said two fold irreparable illegality / irregularity in the matter of appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University by the Respondent No. 1, one more glaring / irreparable illegality is there in the matter of appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University. As per the prevailing norms appointment on the post of Registrar in a University can be made on the basis of the recommendation of the duly constituted search committee,

but the Respondent No. 5 has been appointed by the Respondent No. 1 without there being any recommendation of the duly constituted search Committee, as such the appointment of the Respondent no. 5 as the Respondent No. 5 as the Respondent University is wholly without jurisdiction, as such is fit to be set aside by this Hon'ble Court.

- 21. That if the said illegal and unauthorised appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is allowed to continue, the same will cause many fold problems in the smooth functioning of the Respondent University and on account of the same the evidences relating to the pending criminal cases lying in the Respondent University may adversely be tampered with by the Respondent No. 5.
- 22. That it is stated and asserted here that the petitioner for getting his said grievances settled has approached the Respondent No. 1 vide Annexure 3 & 4 to this writ petition, but the Respondent No. 1, for the reasons best known has preferred to sit tight over the matter. It is further submitted here that the copies of Annexure 3 and 4 have also been sent to other authorities concerned including the Additional Chief Secretary, Department of Education. Bihar, Patna, but of no avail, hence the petitioner has been left over with no other option but to move before this Hon'ble Court for the redressal of his grievances so raised in paragraph no. 1 of this writ petition.
- 23. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court on any earlier occasion for the relief prayed for in paragraph no. 1 of this writ petition.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause, as to why the relief(s) prayed for in this writ petition be no allowed and on return of the rule, cause being shown, if any, and after hearing the parties, be further pleased to make the rule absolute in the said terms.

AND/OR

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

And

During pendency of this writ application, thus Hon'ble Court may graciously be pleased to stay the operation of the orders impugned as contained in Memo no BSU (Registrar) – 27 / 2017 – 698 / GS (I) dated 19.05.2021 (Annexure-1) and its consequential action / order as contained in Letter No.4570 – Est - I dated 19.05.2021 (Annexure - 2 to this writ petition).

And for this the petitioner shall ever pray.



Affidavit

I, Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex - Male, S/o Jitendra Singh, R/o Village - Jagdishpur, P.O.+P.S. - Maharajganj, Distt - Siwan, PIN -841238, do hereby solemnly affirm and states as follows:-

- 1. That I am the sole petitioner in this case, as such, I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
- That I have gone through the contents of this writ application and have fully understood the same.
- That the statements made in paragraph nos. 3, 4, 6, 7, 16, 18 to 20, 22 & 23 of this application are true to the best of my knowledge and those stated in paragraphs nos. 5, 8, 9to 15 and 17 of this petition are true to my information derived from the records of this case and rest are by way of humble submissions before this Hon'ble Court.

That the annexure are true photo/ type copies of its respective originals.

60523

ennty affirmed perofe, who is identified by a have satisfied myself by examining

the deponent that be understands the contents of the affidavit which has been read-ever & explained to him


which acknowledges to be porreck

Edvocate Oath Commis PATNA B' "4 C'APP SIMI SHIC 26.07.2

Santosa Kumar Pander K Bar-Petr-129 Adv. AN 783/29 Date -6/07/29







GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR RAJ BHAVAN, PATNA-800 022

NOTIFICATION

Dated-19.05.2021

No. BSU(Registrar) 27/2017- 698 /GS(I) Consequent upon completion of period of more than three years of Col. Shyama Nand Jha initially appointed vide this Secretariat letter no. BSU- 27/2017- 961/GS (I) dated- 02.04.2018 as Registrar. Veer Kunwar Singh University, Ara and currently working as Registrar, Jai Prakash University, Chapra the Hon'ble Chancellor, after due consideration in academic and administrative interest of the University has been pleased to order to appoint Dr. Ravi Prakash "Babloo" Associate Professor, Dept. of Philosophy, H. R. College Mairwa, Jai Prakash University, Chapra to perform the duties of the Registrar, Jai Prakash University, Chapra in place of Col. Shyama Nand Jha with immediate effect until further orders.

Further necessary action may please be taken accordingly.

By the order of the Hon'ble Chancellor,

Sd/-

(Raj Kumar Sinha, IAS) Joint Secretary

Memo No.- BSU(Registrar)-27/2017- 698 /GS(I), Dated - 19.05.2021 Copy forwarded to:

- Dr. Ravi Prakash "Babloo" Associate Professor, Dept. of Philosophy, H. R. College Mairwa, Jai Prakash University, Chapra for information and necessary action.
- Col. Shyama Nand Jha for information and necessary action.
- The Vice-Chancellor, Jai Prakash University, Chapra / Principal, H. R. College Mairwa for information and necessary action.

 PS to Governor/ PS to Secretary, Governor's Secretariat, Bihar/ PRO/PSG// /Guard File, Raj Bhawan, Patna for information.

> (Raj Kumar Sinha, 148) Joint Secretary

अस्त्र प्रकाश विश्वविद्यालय

Linit South faces

राहुल सांकृत्यान नगर,छपरा -841301,बिहार ;भारत,

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 05152-233507(O)

Letter No. 4570 FSt. I

Dated: 19/05/902/

कार्यालय आदेश

महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाबिपति के संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजमवन, बिहार, पटना के झापांक-BSU(Registrar)-27/2017-698/GS (1), दिनांक-19.05.2021 के आलोक में बाँठ रवि प्रकाश "बबलू" एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विमाग, एच०आर० कॉलेज, मैरवा, सिवान के द्वारा जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में कुलसमिव के पद पर दिनांक 19.05.2021 के अपराहन में अपना योगदान कर लिया है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से

्ट्रा/-कलसचिव

STUTOS - 4570 - EST- T RATIO 13/05/9021

प्रतिलिपि:-

- डॉ० रवि प्रकाश "बबलू" एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच०आर० कॉलेज, मैरवा, सिवान।
- कर्नल श्यामा नन्द झा, निर्वतमान कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार, पटना।
- संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार, पटना।
- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुस्थाह जफर मार्ग, नई दिल्सी।
- प्रधान सथिय, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
- सभी संकायाध्यक्त/विभागाध्यक्त, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- सभी प्रचार्य/प्रभारी प्रचार्य, अंगीभूत महाविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- 10. शाखा प्रबंधक, सभी खाताधारी बैंक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- 11. सभी पदाधिकारीगण / प्रशाखा पदाधिकारी / सहायक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- 12. माननीय कुलपति / प्रति—कुलपति / वित्त परामर्शी / कुलसचिव के निजी सहायक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

म् <u>५</u> ११.०८.२०५

कुलसामव

Child 10070666880 Owar Pasks. Stav Sefet

9/25547576cDi 1994E770255475766

सेवा में

महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति, राजभवन, पटना।

SE SERBIET SOME OF GREEND Counter Nort,08/06/2021.12:29 Tochaftafit, Jisthia F5H10022, In2 39H4F 35. Franckiaw UNR.SIMM Whit Work White 157,00 (Cash) Thick on www.indiagnst.apv.in?

विषय :--

राजभवन के आदेश 🍣 वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को जयप्रकाश विश्वविधालय छपरा के कुलसचिव पद से अविलंब हटाने के संबंध में।

महामहिम.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि राजभवन के पत्रांक BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविधालय के एकंडिमेक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डा० रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविधालय, छपरा का कुलसचिव नियुक्त किया गया (Encl-01) और डाo रविप्रकाश वबलू ने उक्त आदेश के आलोक में 19.05.2021 को ही कुलसचिव के पद पर योगदान भी कर लिया (Encl-02)। विदित्त हो कि डा० रविप्रकाश बबलू जयप्रकाश वि०वि०, छपरा में करोड़ो रू0 की उत्तर पुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं0- 10/2015 दिनांक 30.01.2015 द्वारा धारा-409,420,467,468,477(A), 34,120(B) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के धारा 13(1) D तथा 13(2) तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमे के अभियुक्त हैं। म्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना के अनुरोध पर तत्कालीन कुलाबिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द (वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कासीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने अपने पत्रांक जे०पी०यू० 27 / 2015-1309 रा०स०(।) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस काड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डा० रविप्रकाश बबलू जो उस समय विश्वविधालय में समायोजक, महाविधालय विकास परिषद के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया (Encl-03)

राजमवन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरों ने निगरानी कोर्ट, मुज्यफरपुर में दिनांक 12.10.2015 को अन्य अभियुक्तों के साथ डा० रविप्रकाश बबल् के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 (चार्जसीट) 64 / 15 समर्पित किया (Encl-04) । वर्त्तमान समय में ठा० वबलू जमानत पर है और मुकदमा जारी है।

विदित हो कि वित्तीय अनियमितता एवं ब्रष्टाचार के उक्त मामले में डा० आर०पी० बबलू के साथ तत्कालीन कुलपित प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता भी अमियुक्त थे और निगरानी अन्वेषण ब्यूरों ने राजभवन से उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया (Encl-05-06)। निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपित महामहिम रामनाथ कोविन्द ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक JPU-21/2014-1628/GS(I) दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपित प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपित पद से बर्खास्त कर दिया (Encl-07)। मामले की गंभीरता इस बात से परिलक्षित होती है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपित को ब्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितता एवं ब्रष्टाचार के मामले में कुलपित को सहयोग करने वाले शिक्षकों—पदाधिकारियों को बिहार राज्य विविच अधिनियम—1976 की घारा 69(4) के तहत राजभवन के आदेश पर निलंबित कर स्थानारित कर दिया गया। इसीक्रम में डा० रविप्रकाश ववलू को निलाबित कर आवधीठजीठआर० कॉलेज, महाराजगंज से हरिराम महाविधालय, मैरवा, सिवान स्थानातरित कर दिया गया। और तबसे डा० बबलू यहीं पदस्थापित है(Encl-08-09)।

विदित हो कि डा० बबलू काई आपराधिक मामलों के आरोपी रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वर्खारत पूर्व कुलपित प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र हाने की वजह से डा० बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजमदन के आदेश को भी नहीं मानते थे। राजमदन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासनहीनता की वजह से महामहिम ने डा० रविप्रकाश बबलू का स्थानांतरण दर्शन शास्त्र विभाग, जयप्रकाश वि०वि०, छपरा से पैतृक महाविधालय आर०बि०जी०आर० कॉलेज, महाराजगंज कर दिया था (Encl-10) । इनके किया कलापों से नराज राजमदन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुल सचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपित को दिया था (Encl-11)।

बाठ रविप्रकाश बबलू ने राजमदन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.- 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन जयप्रकाश विठविठ प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनेुशासनहीनता संबंधी ब्यौरा जवाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (Encl-12)।

इस तरह राजभवन की अनुमित एवं निर्देशों पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को पुनः राजभवन द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविधालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संघ एवं बुद्विजीवी विस्मित, हतप्रेम एवं मर्माहत है। विश्वविधालयों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में राजभवन की नीति एवं रवैया जीरो टालरेंस की रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डा० रविप्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों से संबंधित संधिका को अवलोकन हेतू. प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अवैध एवं अनुधित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय से उच्च शिक्षा की शुचिता एवं गरिमा को तो चोट पहुँची ही राजभवन की छवि भी धुमिल हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में महामहिम से निवेदन है कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को कुलसचिव नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना को अविलंब निरस्त किया जाए।


महामहिम की निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता पर हमारा विश्वास एवं भरोसा कायम है।

मवदीय
(राजन कुमार)
पिता-जितेंद्र सिंह
ग्राम- जगदीशपुर
पोस्ट+थाना- महाराजगंज
जिला- सिवान
पिन- 841238

प्रतिलिप:-

- महामहिम राष्ट्रपति के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
- (2.) अवर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू सम्प्रेषित।

राज्य क्रमार



Principles Park 50 CHIMIS Country Residence 50 CHIMIS Country Residence 50 CHIMIS CHIMIS COUNTRY FATHER PROPERTY OF THE STATE OF THE ST



सेवा में, महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति, राजभवन, पटना

विषय : अष्टाचार के मामले में चार्जसीटेड डॉ. रवि प्रकाश बबलू को जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के कुलसचिव पद से अवलिंब बर्खास्त करने के संबंध में स्मार-पत्र।

महामहिम.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि राजभवन के पत्रांक BSU (Registrar)- 27/ 2017-698/ GS (I) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय के एकंडिंगक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डॉ. रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया (अनु0-1) और डॉ. बबलू ने उक्त आदेश कें आलोक में दिनांक 19.05.2021 को ही कुलसचिव पद पर योगदान भी कर लिया (अनु0-2)। विदित हो कि डॉ. रवि प्रकाश 'बबलू' जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में बहुचर्चित करोडों रू० की उत्तरपुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं0- 10 / 2015 दिनाक 31.01.2015 द्वारा धारा 409, 420, 467, 468, 477 (ए), 34, 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के घारा 13 (1) डी तथा 13 (2) के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमें के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविंद (सम्प्रति भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिय श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने अपने पत्रांक जे.पी.यू 27/2015-1309 रा० स० (1) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस कांड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डॉ. रवि प्रकाश बबल् जो उस समय विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर थे, के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया (अन्0-3)।

राजमवन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक 12.10.2015 को डॉ. रिव प्रकाश बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जसीट) सं0 64/2015 समर्पित किया (अनु0-4)। भ्रष्टाचार के इस मुकदमें में डॉ. बबलू सम्प्रति जमानत पर हैं और मुकदमा निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में लंबित है।

विदित हो कि वित्तीय अनियमितता एवं अष्टाचार के उक्त मामले में डॉ. आर.पी. बबलू के साथ तत्कालीन कुलपित प्रो. द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी

अन्वेषण ब्यूरो ने राजभवन से उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में आरोप पत्र दायर किया (अनु0 – 05-06)। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक JPU-21/2014-1628/ GS (I) दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (अनु0-07)। मामले की गंभीरता इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों— पदाधिकारियों को बिहार राज्य वि0 वि0 अधिनियम 1976 की धारा 69 (4) के तहत राजभवन ने डॉ. आर.पी. बबलू सहित अन्य आरोपियों को निलंबित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु एक समिति गटित किया जिसने अपने प्रतिवेदन में राजभवन से अनुशंसा किया कि आरोपी शिक्षकों को इस शर्त के साथ निलंबन मुक्त किया जा सकता है कि दंड के तौर पर इनका स्थानांन्तरण कर भविष्य में इन्हें कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जाए और न ही किसी वैधानिक कमिटी वगैरह में नामित किया जाए। जिसे राजभवन ने अपने न्यायिक आदेश संख्या JPU (Appeal)-13/2016-1416 GS (I) दिनांक 28.07.2016 में स्वीकार करते हुए इन्हें निलंबनमुक्त करने का आदेश दिया (अनु० ०८)। राजभवन के न्यायिक आदेश का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30.07.2016 को डॉ. आर.पी. बबलू को निलंबनमुक्त कर दंड स्वरूप आर.वी.जी.आर कॉलेज, महाराजगंज से हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान स्थानान्तरित कर दिया और तबसे डॉ. बबलू वहीं पदस्थापित है (अनु0-9)। विदित हो कि डॉ बबलू कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त तत्कालीन कुलपति प्रो. द्विजेन्द्र गुप्तां के विश्वासपात्र राजदार होने की वजह से डॉ बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गयी थी कि वे राजभवन के आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासहीनता की वजह से महामहिम ने डॉ. रवि प्रकाश बबलू का स्थानांन्तरण दर्शन शास्त्र विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से आर.बी.जी.आर. कॉलेज, महाराजगंज, सिवान कर दिया था (अनु0-10)। इनके क्रियाकलापों से नाराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुलसचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था (अनु0-11)। चार्जसीटेड होने के बाद जब इन्हें कुलसचिव पद से हटाया गया तो घोटाले से संबंधित संचिकाओं को भी ले भागे। इस कुकृत्य के लिए तत्कालीन कुलानुशासक ने इनके विरुद्ध संचिका गायब करने संबंधी आपराधिक मुकदमा भी दायर किया (अन्-12)।

डॉ० रवि प्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में स.डब्लू.जे.सी 943 / 2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासहीनता संबंधी ब्यौरा जबांवी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण दाखिल किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (अनु0-13)

इस तरह राजभवन की अनुमित एवं आदेश पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं आरोपित तथा भविष्य में कोई भी प्रशासनिक दायित्व नहीं देने के निर्देश के बावजूद डॉ रिव प्रकाश बबलू को राजभवन द्वारा पुनः कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी आश्चियचिकत एवं मर्माहत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डॉ. रिव प्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार, अनुशासहीनता एवं आपराधिक मामलों से संबंधित संचिका को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अनुचित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय से उच्च शिक्षा की शुचिता एवं गरिमा को तो आधात पहुँचा ही, राजभवन की छिव भी धूमिल हो रही है।

विदित हो कि इस संबंध में कार्रवाई हेतु दिनांक 08.06.2021 को मैंने डाक से आरोप संबंधी तमाम साक्ष्यों को अनुलग्नक के रूप में आवेदन के साथ महामहिम को संप्रेषित किया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनुन अप्रे

अतः एक बार पुनः महामिहम से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भ्रष्टाचार के मामले में चार्जसीटेड तथा आपराधिक छवि के व्यक्ति डॉ. रिव प्रकाश बबलू को अविलंब कुलसचिव पद से हटाया जाए तथा तथ्यों को छिपाने वाले राजमवन के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए।

प्रतिलिपि :

1. महामंहिम राष्ट्रपति के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

2. प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना

 अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित। भवदीय वीजन का मार अन्तर। (राजन का मार भिता: जितेंद्र सिंह अस : जातीशपुर पारशपा : महाराजन जिला : रिस्कान जिला : रिस्कान

DESCRIPTION TOWNS OF CHARGOS CONTROL TO CONTROL OF CHARGOS CONTROL OF



Frenchillers Treat Hab Toy Hab # ANN-5 # 29

	स्यो 47, प्रपत्र स० ११४		Spl- 0.		Seey	संख्या	***
	टेंट हरू प्रथम में०→26 / लिया।-			20.24920.7	W	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	709
	(it)	and mile	e as de mi	पास १५४ काल्याम	oneson	11.75	F -1-F
74	*feet 92 FT * sept (Dist.) (S. I)	iv)	(P.S.)	Tell.*av.2015. (Yr.)			
	Service Control of the Control	CA (8)	1000	-	(F.I.R. No		Date)
2.	- (I) *आंधनियम(Act)			*भाराएँ (Sectio	34/120	Buff 8 Things	/471/477{V
	(II) *əlfəfəqq(Act)	FJOT-1001	ETO-1988	*SINT(Section	ms)13 2 2 和西	पिल धा	T1311181
	(III) *अधिनियम(Act)			*धाराएँ(Sectio	ns)	ar In a si	
	(IV) • अन्य अधिक्यमण्ये ।	ाएँ (Other Act	s and Section	ıs).			***************************************
3.	(क) "अपराध की घटना	*144		्रतिधि से प्रस	rft, 2014	*तिथितवीं दस	मबर, 2014तंक
	(Occurrence of offence)	(Day)	(Date from)	100	(Date to)	1
	न्समयावधि (पट्र)			॰ बजे से			अवाचे क्या
	(Time period)			(Time from)	- -		(Time to)
	(ख) माना में प्रत सुदनाति ।	30-01-20	16		uq 17. 30	वो	FI
					4	The state of the s	
	(ग) प्राथमिकी दर्ज करनेका ।।	1430.01	-2015	सम	17. 30	बजे	NOCES
	(ष) धाना देनिको संदर्भ-प्राय	P. Ho. 33.9/3	0-01-201	5	समय 17.30	देवे ।	
4.	सूचना का प्रकार (Type of a	(formation)		'लिखिट/मी र्श्विक (V	Vritten/Oral)	निक्रियत	1
5.	घटनास्थल-(क) धानासंदिशा	एणं दूरी		***************************************	गश्त संद		
				य, छपरा, जिना			
			errerentage	(Accomplisation)			***********
ibre	***************************************					mount or the	treate parame
	(ग) धानाको सीमा संयादा ता	को दशा में थाना	रानाम			जिला	- 1
6,	परिवादी/सूचना वाता :			1	-	11	Name and Address of the Address of t
	(क) नामकी. राम. प्	लगा प्रोच्या	T.T		- 1		
	(ख) पितारप्रीत का रामह	40 राम रा	रणा पोद्	दार		************	**********
	(ii) with fisher .0500.15	1.953	*********	(घ) राष्ट्रीयता	FIXE) 4	**********
	(ङ) पारपत्रसं०	********	. निर्मम लिथि, .	***************************************	ी निर्गम स्थ	F	********
	(च) पंतामुक्तित.उपा	iftera	**********			A Property of	A STATE OF
	(छ) पता, निगरानी ज		रो, पटना	1	CE GALL SE	T(1) 1 10 1 10	o per
1.76	144					1	***************************************

वी 47, प्रयत्र संव-118


ान ऑदेल्ब/अज्ञात आंभयुक्त का कियरण (यदि आवश्यक हो सो अलग से पन्ता लगाएं)

--- प्रोठ दिलेन्द्र गुप्ता कुपति, ज्य प्रकारा विश्वविद्यालय, अपुरा पूर्व अन्य ६१६: १ अभियुक्त की सबी साधा संस्थान है।

दिग्ध व्यक्ति	को सारीनि	क्र विशेषक	र् धि	ह.पता	ब्राह्म अध्य प्र	वसमाः	-		lors,	- Landania
लंग (+ ar-tfall fafst/sura Date of E te/Mont	Ginh		ricky (Buil	: भराम	अधाई से॰ मो॰ में (Height) (in Cms)	(Co	•वर्ष mplexion)		पहचान चिह्न dentification mark)
(1)41	2	IN FERRY	9	3		4		50.		6
vial 1					din i		T			
*fquant (Deform peculiar	nities/		दांव eeth)	0.0	+saret (Hair)	*ऑख (Eye)		• आदर्ते (Habits)	(1	पहनावा Oress Habits)
7			8		9	10		- 11		12
							त्यान	192		
*siqual	198	च्छले का नि (Burn Ma			rda FB	*तिल (Mole)	-	*गत्म चिह (Scar)	Alpho	The state of the s
13		4			15	16		17		.18

वाद परिवादी/एतिला है। वालो/पोदित व्यक्ति हारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक वा अधिक विशिष्टतार्थे दी जाई तभी इन स्तंभी में प्रविष्टियों की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए जॉकड़ बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो हो जोहेगा । जय कोई अधियुक्त भारपतार किया आए तब पूर्व — संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पार किए जाएंगे। पुन: तैपार किए जाएंगे।



निगरानी थाना कांड सं०- 10/2015, दिनांक- 30.01.15 के प्राथमिकी के कॉलम 07-ज्ञात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों के शेष विवरणी।

- ए-2. श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वित्तीय परामर्शी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- ए-3. श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- ए-4. प्रो० सरोज कुमार वर्मा, राजनीति शास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विकय समिति के सदस्य।
- ए-5. डा० अजीत कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-क्य बिकय समिति के सदस्य।
- ए-6. डा० अनिता, हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-क्य बिकय समिति के सदस्य।
- ए-7. निदेशक, चन्द्रकला युनिवर्सल प्राईवेट लिमिटेड, 118 बी. wing, Ansa Industrial Estate, Andheri East, Mumbai- 400072 एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगी गण।

ुक् ५ ५ (अश्विनी कुमार) पुलिस अधीक्षक-सह-यानाध्यक्ष, निगरानी थाना, बिहार, 6, सर्कुलर रोड, पटना ।

	nter transmission		
एवं गई/अर्लग्रस्त्र करानर सन्तरिको के ब्योरे (स	दि आवश्यक हो तो अलग से	पना लगायें)	
पुराई गर्मी/अन्तंग्रस्त परामद सम्मालयों का कुल मू	ह्य (Total Value of prope	erties stolen/involved/rec	overed)
अस्माधाविक मृत्यू फांड सं०, चीर हो हो (U.D.)	CaseNo., if any)		4
भरमाभाविक मृत्यु कांड सं०, चीर हो सो (U.D.)		ारo केo पोद्वार,पुरि	

WITE SHOPE OF THE STATE OF

Miller The STEEL STEEL SECTION SE

MARIN MINTER THE CHARLES

DESCRIPTION OF STREET supplied the supplied of

and the tender were mile

strankert;

13.	की गयीं कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उन्निखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया। वी विकीय कुमार मिश्र प्रान्ताम पुलिस अधिकारित का जन्में प्रारम्भ किया। अनुसंधान करने का निर्देश दिया। अनुसंधान करने से इन्कार किया। आधिकारित के प्रतन् पर
	अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पदकर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अधिविधित किया गया पाकर
	स्वीकार किया और उराजी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को नि:शुल्क दी गयी।(Action taken: Since the above report reveals
	commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2, registered the case and took up the investigation/
	directed* to take up the investigation.)

(4)

14. परिवादी/सूचना दाला का हस्ताक्षर/अंगृठा का निशान। अपेर 3+ि 15

15. थाना से न्यायालय में प्रेयण की तिथि एवं समय—

थाना प्रमारी का हस्ताक्षर

गम (Name)....पुलिस अध्रोहाक-सह-धारनाध्यहा, निगरानी धारना, 6-सक्त्रीर रोड,पटना ।

पदनाम (Designation)....

£

Seen 5

सेवा में.

पुलिस अधीक्षक-सह-यानाध्यक्ष निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विहार, पटना।

विषय :- प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय.

सूचित करना है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को श्री विश्वजीत कुमार चंदेल, पिता श्री निरसु नारायण सिंह, ग्राम- गंगौली, चाना- मशरक, जिला- छपरा का परिवाद दिनांक- 28.08.14 एवं शपथ-पत्र दिनांक- 23.09.14 प्राप्त हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है

वर्तमान कुलपित प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के परभार ग्रहण करने के पश्चात विना निविदा, दिना दर तय किये हुए लगभग 02 करोड़ की सादी उत्तर पुरितका का कय किया गया। जिसके कमीशन के रूप में लगभग 60 से 70 लाख रूपया लिया गया है। वित्तीय प्रावधानों तथा विहार सरकार निविदा नियमावली का उल्लंधन करते हुए यह कार्य आदेश एक इलाहाबाद के नये प्रतिष्टान वन्द्र कला युनिभर्सल प्रा० लि0 (C.U.P.L.) को दे दिया गया।

चन्द्र कला युनिभर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) एक नया प्रतिष्टान जिसका पंजीयन १३ दिसम्बर २०१३ को ही हुआ है। इस फार्म के सादी उत्तरपुस्तिका छापने या प्रश्न-पत्र छापने इत्यादि का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक नये फार्म को बिना निविदा निकाले, बिना दर तय किये हुए, ५० लाख का अधिम भुगतान कर दिया गया तथा उक्त फार्म द्वारा दिये गये सारे शर्तों को मानकर अंतिम भुगतान भी कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि चन्द्र कला युनिभर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कुलपित एवं वित्तीय पारमशी द्वारा यह कुकृत्य किया गया है। विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि उक्त फार्म कुलपित के किसी संबंधी का है।

निविदा नियमावली के मुताबिक ०१ लाख से उपर का कय करने हेतु समाधार-पत्र में विद्यापन की आवश्यकता होती है। लेकिन जय प्रकाश वि०वि० के वर्तमान कुलपति द्वारा करोहो रूपये का भुगतान बिना विहित प्रक्रिया अपनाये कर दिया गया।

यही नहीं उक्तं फार्म को गोपनीय छपाई के नाम पर भी लाखों रूपया का गलत भुगतान कर दिया गया।

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कनीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी के प्रतिकुल टिप्पणी के बावजूद भी ये सारे भुगतान किये, गये हैं। यहीं नहीं प्रवेश-पत्र की छपाई ओ०एम०आर० सीट का क्य भी बिना निविदा निकाले लिया जा रहा है। इसमें 50 लाख का भुगतान होना है।

grsplfusso 31-1-5

2

सबसे आश्चर्यजनक तब्य तो यह है कि समस्त अग्रिम भुगतान प्रक्रिया प्रस्ताव से लेकर चेक निर्गत करने तक संधिका के अनुसार सिर्फ एक ही दिन 13.05.2014 को सम्पादित किया गया, यह भी एक विचारणीय है कि आपूर्तिकर्ता एवं जे०पी० वि०वि० के अधिकारियों को समस्त प्रक्रिया सिर्फ एक दिनांक- 13.05.2014 को करने में कौन सी बाध्यता थी।

इसके अतिरिक्त उसी प्रतिष्ठान को पुनः 12.06.2014 को चेक सं0-004397/004395, 004396, 12.06.2014 द्वारा 50 लाख अधिम सामंजन करते हुए 41 लाख 25 हजार 996 रूपया का भुगतान कुलपित को मौखिक आदेश से गलत तरीके से कर दिया गया। जबकि उक्त कार्य हेतु कोई भी कार्य आदेश या दर निर्धारण पहले नहीं किया गया था। उक्त संबंध में ही कनीय पदाधिकारी के द्वारा प्रतिकुल टिप्पणी की गयी है।

सादी उत्तर पुस्तिका, प्रवेश-पत्र की छपाई, पंजीयन प्रपत्र, ओ०एम०आर० सीट, ओपनीय छपाई में नहीं आता है। जहाँ तक पूर्व निर्धारित वर का सवाल है तो ओ०पी०वि०वि० के पूर्व कुलपित प्रो० रामिविनोद सिन्हा एवं छा० विमल कुमार के कार्यकाल में कथ-विकय समिति की बैठक दिनांक- 12.03.2012 एवं 02.03.2013 के द्वारा सादी उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति का आदेश पूर्व निर्धारित वर पर जो विदित प्रकिया पालन करते हुए किया गया था। 40 पृथ्वें की उत्तर पुस्तिका ने वर से विना किसी उन्नाई एवं पैकेजिंग चार्ज दिये आपूर्ति करने का निर्णय किया गया था और इसी दर पर उस वक्त के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया। परन्तु इस बार 40 पृथ्वें के जगह 32 पृथ्वें का उत्तर पुस्तिका विना वर तथ किये हुए मनमाने ढंग से 12 रूपया 50 पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका वर किर्धारित किया गया। इस तरह चन्द्र कला चुनिर्मसल प्राईवेट लिमिटेड का फायदा पहुँचाने के लिए आदेश देकर 25 प्रतिशत की बब्रेतरी की गयी। यह घोटाला लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा पर पहुँचता है जो अब तक की सबसे बड़ी वितीय अगियमितता है।

वि०वि० अधिनियम के मुताबिक क्य-विक्य समिति के जठन में सिंडिकेट द्वारा नामित तीन सदस्य होते हैं तथा इस कमिटी के अध्यक्ष कुलप्रति होते हैं। लेकिन इस वित्तीय अभिवामितता को छुपाने के लिए विना सिंडिकेट की बैठक बुलाये क्य-विक्य समिति का जठन कर किया जया तथा 31.05.2014 को एक बैठक बुलाकर दर गिर्धारण के संबंध में लिपापोती करने का प्रयास किया जया। एक नामित सदस्य को वि०वि० में पद देकर सुशोभित किया जया।

वर्तमान कुलपित इलाहाबाद के रहने वाले हैं तथा चन्द्रकला युनिर्भसल प्राईवेट लिमिटेड कंपनी भी इलाहाबाद की कंपनी है जिसका पंजीकरण कुलपित के नियुक्ति प्रकिया के दौरान कराया गया है। यह जाँच का विषय है कि कुलपित एवं चन्द्र कला युनिर्भसल प्राईवेट लिमिटेड के बीच क्या संबंध है। विशेष सूत्रों से यह पता चला है कि उपत फार्म से ही सारे कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) परिवाद पत्र में लगाये गये उपरोक्त आरोपों की जींच हेतु निगरानी अलोपण न्यूरों द्वारा अघोहस्तालरी के नेतृत्व में एक जींबदल का भठन किया गया। जींचदल द्वारा अभिलेखीय

nesphase

3

साक्य के आधार पर जाँच की गयी और जो तथ्य प्रकाश में आये है तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन दिनांक-27.01.15 को समर्पित किया गया है जो इस प्राथमिकी का आधार है तथा साथ संलग्न हैं।

- (3) जाँच से यह पाया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का कय करने के लिए आरोपी लोकरोवकों द्वारा वित्तीय नियमों एवं विश्वविद्यालयों अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया। इन्होंने मनमाने दंग से सभी नियमों को ताक पर रखते हुए मौक्षिक तौर पर चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा० लि०, इलाहाबाद को क्यादेश दे दिया एवं इसके लिए अग्रिम के रूप में दो किस्तों में कुल ५० लाख रूपये का भुगतान भी कर दिया। इन उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्व निर्धारित दर प्रति कॉपी १०.५० रूपया था जिसमें ४० पेज हुआ करते थे जबकि आरापित द्वारा मात्र 32 पेज के उत्तर पुस्तिकाओं के क्यादेश १२.५० रूपये की दर से किया गया जिससे स्पष्ट रूप से आपूर्ति कर्ता को सदोष लाभ पर्हुणने के आरोप की पुष्टि होती है।
- (4) उपरोक्त भुगतान को नियमित करने के लिए आरोपित कुलपित द्वारा एक कय एवं बिकंय समिति का गठन बाद में किया गया एवं इस सिमिति के द्वारा क्य सम्बन्धी प्रस्ताव से लेकर क्यादेश एवं भुगतान करने संबंधी सभी कार्रवाई को अर्थात 31.05.14 को करने की कार्रवाई की गई क्योंकि इनके द्वारा संबंधित फर्म को मौक्षिक क्यादेश दे दिया गया था एवं अग्रिम के रूप में कुल 50 लाख की राशि की भुगतान कर दी गई थी। स्पष्ट है कि क्यादेश निर्गत करने एवं अग्रिम भुगतान के कार्रवाई को नियमित करने के उददेश्य से बाद में इनके द्वारा क्य समिति का गठन किया गया और एक ही दिन में. भुगतान की कार्रवाई पुरी की गई और इस प्रकार इस फर्म को इस क्यादेश के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 30 लाख का भुगतान किया जा चुका है।
- 5. अभिलेखों, के जाँच के दौरान यह भी पाया गया है कि उत्तर पुरितकाओं के क्य के संबंध में इनके कार्यालय के कनीय पदाधिकारियों द्वारा इनके प्रस्तावित कार्रवाई को किये जाने पर अपनी आपित दर्ज की थी परन्तु इसको नजर अन्यन करते हुए कुलपित द्वारा यह कार्यिश की कार्रवाई की भयी।
- (6) जाँच के कम में यह भी पाया गया है कि चन्द्रकला युनिवर्सन प्रा०सि० को ही गोपनीय छपाई इत्यादि के नाम पर कुल 14 लाख 88 हजार 549 रूपये का भुगतान भी आरोपित के द्वारा किया गया है।
- (7) जाँच के कम में पाया गया कि आरोपियों द्वारा मिली-भगत कर सुनियोजित पडयंत्र के तहत सरकारी राशि का गवन करने के उद्देश्य से फर्जी अभिलेख तैयार कर सरकारी नियमों एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा के कम पेज वाले उत्तर पुरितकाओं का कय अधिक दर पर C.U.P.L. कम्पनी को सदोष लाभ पहुँचाने के नियत से अपने पद का भण्ट दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए सरकारी कोष को लगभग 01 करोई 44 लाख रूपये के अभी तक के सरकारी राजस्व की हानि पहुँचाने के लिए निम्नितिकत सरकारी सेवक प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत होते हैं :-
 - प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।



grisolyune (8)

- श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वितीय परामशी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- 3. श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।
- प्रो० सरोज कुमार वर्मा, राजनीति शास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कथ विकथ समिति के सदस्य।
- डा० अजीत कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कथ विकय समिति के सदस्य।
- डा० अनिता, हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-क्य विकय समिति के संदर्य।
- निरेशक, चन्द्रकला युनियर्राल प्राईवेट लिमिटेड, 118 बी. wing, Ansa Industrial Estate, Andheri East, Mumbai- 400072
 अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगी गण।

अनुरोधः है कि उपरोक्त चिल्हित सरकारी सेवको के विरुद्ध अवतक जाँच के कम में उपलब्ध साक्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। संलब्ध:- जाँच प्रतिवेदन अनुलब्बक सहित।

विश्वासभाजन

राज्याकी प्रभावी

विगरानी अस्वेषण स्थरो, पटना।

आदेशानुसार विज्ञारानी द्यांना कांड संख्या-010/2015, दिनांक 30.01.2015, घारा- 409/420/467/468/471/477(ए)/34/120(वी) भा०द०वि० एवं घारा- 13(2) सह पठित घारा 13(1)(डी) धा०निवैअधि० 1988 अंकित किया एवं कांड का अनुसंधान भार श्री दिलीप कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक, निजरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजपकरपुर प्रक्षेत्र को शींपा ।

(अश्विबी कुमार)

पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्त, निगरानी थाना, ६-सर्जुलर रोड, पटना

Seen (9)

संवा जै.

पुलिस अधीक्षक (जाँच), निजरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।

प्रसंगः-

निजरानी अन्वेषण व्यूरो, विहार, पटना का पत्रांक परि० कोषांग-1420 दिनांक-06.11.14 एवं 1458/विज्ञा, दिनांक- 24.11.14

विषय :-

प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध परिवाद पत्र का सत्यापन-सर्ह- जींच प्रतिदेवन ।

भराशय,


सूचित करना है कि श्री विश्वजीत कुमार चंदेल, पिता श्री निरसु नारायण सिंह, ग्राम-गंगीली, बाना- मशरक, जिला- छपरा द्वारा दिया गया परिवाद दिनांक- 28.08.14 एवं लपच-पत्र दिनांक- 23.09.14 के आधार पर यह जींच आरम्भ किया गया है। परिवाद पत्र में निम्नतिधित आरोप लगाये गए हैं:-

(1) आरोपः-

- 1.1 वर्तभाग कुलपित प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के पदभार ग्रहण करने के पश्चात विना रितिवदा, विना दर तथ किये हुए लगभग 02 करोड़ की सादी उत्तर पुस्तिका का कथ दिया गया। किसके कमीशन के रूप में लगभग 60 से 70 लाख रूपया लिया गया है। विसीय प्रावधानी तथा बिसर सरकार निविदा नियमावली का उल्लंघन करते हुए यह कार्य आदेश एक इस्तारावाद के नये प्रतिष्ठान, चन्द्र कला युगिभर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) को दे दिया गया।
- 1.2. वन्द्र कला युविभर्शन पा० लि० (C.U.P.L.) एक नया प्रतिष्ठान जिसका द्रानियन 13 दिसम्बर 2013 को ही हुआ है। इस फार्म के सादी उत्तरपुरितका छापने वा प्रध्न-पत्र छापने इत्थादि का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे परिश्वित में एक नये फार्म को सिना विविद्य जिनाले, विना दर तथा किये हुए, 50 लाख का अधिम भुगतान कर दिया गया तथा उसत कार्म छारा दिये अये सारे, शर्मों को मानकर अंतिम भुगतान भी कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वन्द्र कला युनिभर्शन पा० लि० (C.U.P.L.) को शीधा लाभ पहुँचाने के लिए कुलपित एवं वित्तीन प्रारम्शी द्वारा यह कुक्त्य किया गया है। विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि उक्त फार्म कुलपित के किशी संबंधी का है।
- 1.3. निविदा वियमावली के मुतादिक 01 लाख से उपर का क्य कर्न हेतु समावार-पत्र में विद्यापन की आवश्यकता होती है। लेकिन जय प्रकाश वि०विंठ के वर्तमांच गुलपति द्वार, करोड़ो रुपये का भुगतान धिना विहित प्रक्रिया अपनाये कर दिया गया।

100

(2)



1.4. यहीं नहीं उक्त फार्म को जोपनीय छपाई के नाम पर भी लाखों रूपया का जलत भुजतान कर दिया जया।

1.5. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कनीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी के प्रतिकुल टिप्पणी के बावजूद भी ये सारे भुगतान किये गये हैं। यहीं नहीं प्रवेश-पत्र की छपाई जीवएमवंभारव सीट का क्य भी विना निविदा निकाले सिया जा रहा है। इसमें 50 लाख का भुगतान होना है।

1.6. सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि समस्त अग्रिम भुगतान प्रक्रिया प्रस्ताव से लेकर चेक निर्गत करने तक संविका के अनुसार सिपं एक ही दिन 13.05.2014 को सम्पादित किया गया, यह भी एक विचारणीय है कि आपूर्तिकर्ता एवं जे०पी० वि०वि० के अग्रिकारियों को समस्त प्रक्रिया शिर्प एक दिनांक- 13.05.2014 को करने में कोन सी चान्यता थी।

1.7. इसकें अतिरिवत उसी प्रतिष्ठान को पुनः 12.06.2014 को रेक सं0-004397/004395, 004396, 12.06.2014 द्वारा 50 लाख अग्रिम सामंजन करते हुए 41 लाख 25 हजार 996 रूपया का भुगतान कुलपति के मौक्षिक आदेश से मलत तरीकें से कर दिया गया। जबकि उक्त कार्य हेतु कोई भी कार्य आदेश या दर निर्धारण पहले नहीं किया गया था। उक्त संबंध में ही कनीय पदाधिकारी के द्वारा प्रतिकुल टिप्पणी की गयी है।

1.8. सादी उत्तर पुरिलका, प्रवेश-पत्र की छपाई, पंजीयन प्रपत्न, ओ०एम०आर० सीट, ग्रोपनीय छपाई में नहीं आता है। जहीं तक पूर्व निर्धारित दर का सवाल है तो जे०पी०वि०वि० के पूर्व बुलपित प्रो० रामविनोद हिन्हा एवं ६१० विमल कुमार के कार्यकाल में करा-विकय समिति की बठक दिनांक- 12.03.2012 एवं 02.03.2013 के द्वारा सादी उत्तर पुरितकाओं की आपूर्ति का आदेश पूर्व निर्धारित थर पर जो विहित प्रकिया पालन करते हुए किया गया था। 40 पृथ्वें की उत्तर पुरितका कि दर से बिना किशी पुरितका विधारित थर्तों के साथ 10 रूपका 50 पैसा प्रति उत्तर पुरितका के दर से बिना किशी दुनाई एवं पैकेजिंग थार्ज दिये आपूर्ति करने का निर्णय किया गया था और इसी दर पर उन वका के आपूर्तिकर्ताओं को भुजतान किया गया। परन्तु इस थार 40 पृथ्वें के जजह 32 पृथ्वें का उत्तर पुरितका विना दर तथ किये हुए मनमाने ढंग से 12 रूपथा 50 पैसे प्रति उत्तर पुरितका दर विधारित किया जया। इस तरह बन्दा कता चुनिर्मसल प्राईवेट लिमिटेड का फायदा पर्दुवाने के लिए दर में जहीं 20 प्रतिशत की बदोतरी की मदी वही उत्तर पुरितका के आपूर्ति में 40 पृथ्वें का आदेश देकर 25 प्रतिशत सामान में कहोती की गयी। यह पोटाला लगभग 50 प्रतिशत से क्वादा पर्दुवान है जो अब तक की सवरों वही वित्तीय अधिस्थिततता है।

1.9. विविविव आंशितियम को मुताबिक क्य-विकय समिति के गटन में शिक्षिकेट द्वारा मिति तीन सदस्य होते हैं तथा इस कमिटी के अध्यक्ष कुलपति होते हैं। लेकिन इस वितीय अभिवित्तता को धुपाने के लिए विना सिडिकेट की बैठक बुलाये क्य-विकय समिति का गठन कर लिया गया तथा 31.05.2014 को एक बैठक बुलाकर दर निर्धारण के संबंध में निपापोती करने का प्रयास किया गया। एक निर्मत सदस्य को विविविव में पद देकर सुशामित किया गया।

wi

1.10. वर्तमान कुलपंति इलाहाबाद के रहने वाले है तथा वन्द्रकला युनिर्मसल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इलाहाबाद की कंपनी है जिसका वंजीकरण कुलपंति के नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कराया गया है। यह जाँच का विषय है कि कुलपंति एवं चन्द्र कला युनिर्मसल प्राइवेट लिमिटेड के बीच क्या संबंध है। विशेष सूत्री से यह पता चला है कि उन्न फार्म से ही सारे कार्य कराये जा रहे

- (2) विभागीय पत्रांक- 1420 दिनांक-06.11.14 से परिवाद पत्र का सत्यापन आर पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार, सीवान प्रक्षेत्र सीवान को दिया गया या तत्पश्चात विभागीय पत्रांक- 1458 दिनांक-,24.11.14 से परिवाद पत्र में लगाये गए आरोपों की जाँच सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों का एक जाँच दल गठित किया गया :-
 - 2.1 श्री आर०के० पोदार, पुलिसं उपाधीक्षक, निजरानी अन्वेषण न्यूरो, पटना ।
 - 2.2 श्री बरेब्द कुमार, पुलिस विरीक्षक, विजरावी अव्वेषण व्यूरी शीवान प्रकेष।
 - 2.3. श्री मुरारी प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, निजरानी अन्तेषण व्यूरो, मुजपफरपुर प्रक्षेत्र।
 - 2.4. श्री रामहरि प्रसाद, अवर विरीक्षक, निजरानी अन्वेषण व्यूरो, मुजफ्फरपुर प्रकेष।
 - 2.5 श्री मोहल प्रसाद शर्मा, अवर बिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पठना।
 - (3) श्री मुरारी प्रसाद, पुलिस निरीक्षक अपने कार्य व्यस्तता बताकर अभी तक इस जाँच दल में शामिल नहीं हुए हैं। जाँच में अपेक्षित सहयोग करने के लिए उन्हें बार-बार स्मारित किया जा रहा है।
 - (4) परिवादी का बयान- जॉंच के दौरान परिवादी श्री विश्वजीत कुमार चंदेल (25) चिता श्री बिरस बारायण सिंह, ग्राम- जंजीली, थाना- मशरक, जिला- छपरा का बयान निजरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना में लिया गया। इनके द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गये परिवाद पत्र दिनांक-28:08.14 एवं शपय पत्र दिनांक-23.09.14 को लिखित रूप से संपृष्ट किया ग्रह्मा। संपृष्टि पत्र मूल रूप में संलज्ज है। (अनुलज्जक-1)। आजे इनके द्वारा बताया जया कि छात्र जेता के हैसियत से इन्हें प्रो0 दिजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के काले कारनामाँ की जानकारी हुई तो इन्होंने उक्त परिवाद पत्र से उसकी जानकारी निगरानी अन्वेचण ब्यूरों को दिया। आगे इनके द्वारा बताया गया कि चन्द्रकला युनिर्भातल प्रा० शि०, इलाहाबाद नामक फर्म का पता लामाने ये इलाहाबांद गये थे। वहीं जाने पर इन्हें पता चला कि इस फर्म का निबंधन दिनांक+ 13.12.13' को हुआ है जिसका निषंपन सं0- 06123/2013-14 है। इस पाने को TIN No- 09612720375C दिनांक- 13.04.2014 को मिला है। निवंचन हेत् दिये जये आयेटन में इस फर्म का पता 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोह, इलाहाबाद-211002 है। इन्होंने उपरोक्त दिये गर्ये पता पर इस फर्म को खोजा तो यह फर्म इन्हें गहीं मिला। आगे इनके द्वारा बताया गया कि इस फर्म के सभी निदेशक गण एक ही परिवार के सदस्य है जो प्रों 0 दिनेन्द्र गुप्ता, कुलपति जन प्रकाश विश्वविद्यालय, छवरा के सम्बन्धी है। प्रो० द्विजेन्द्र मुप्ता का जब जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलपति बनना तय हो गया तो इन्होंने अपने सगा-संबंधी के नाम उक्त फर्म को निवंधित करायां एवं बिना कथ-विकय समिति गरित किये C.U.P.L. को छपाई एवं आपूर्ति आदेश देखर 50

41 91050/11/15

लाख रूपया अग्रिम भुगतान किये और अभी तक लगभग 02 करोड़ रूपया भुगतान कर चुके है जिसमें इन्हें 60 से 70 लाख रूपया कमीशन प्राप्त हुआ है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय; छपरा के स्टॉकं में '40 पृथ्वें वाली लगभग 08 लाख उत्तर पुरिसका उपलुष्य या जिसरो 0.2 साल तक सारी परीक्षाएँ ली जा सकती थी। उन काँपी को काँलेज में हंप करके एवं उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश देकर नये प्रकार के कौंपी का क्य कराया गया है। आपूर्ति पश्चात अपने द्वारा कय-विकय समिति गटित कर उक्त कर्म C.U.P.L. को अंजूरी दे दी गयी है। कय-बिकय रामिति के सदस्य डा० अजीत तिवारी जिल्होंने इस कार्य को करने वो करवाने में अहम भूमिका निभावा है उन्हें कुलपति द्वारा विस्वविद्यालय में लाभ का पद डायरेक्टर, डिसिफेम्स एदकेशन बना दिया गया है। प्रोठ द्विजेन्द्र गुप्ता स्वंय दक्षिण भारत के रहने वाले है एवं अपनी हादी इलाहाबाद में रहने वाले सम्प्रति राजपुर परिवार की लड़की से किया है जो इन दिनों रोन्ट्रल युर्विवसिद्री, इलाहाबाद में साईकोलॉजी के प्रोफेसर है। प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता भी मूल लप से सेन्ट्रल युर्निवसिद्री, इलाहाबाद के प्रोफेसर है। आजे इनके द्वारा बताया गया कि ये जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से एम०ए० की पढ़ाई पुरा किये हैं तथा पी०एव०डी० पुरा कर चुके हैं। ये ज़य प्रकाश विश्वविद्यालय में शोध विद्यार्थी संगदन का संयोजक है। पी०एव०डी० करने का कार्यकाल ०२ साल तकं का, था जो 16.03.2013 को पुरा हुआ। तत्पश्चात इन्होंने 05.08.13 को बी०एड० की पंजर्ड आरम्भ किया। सिद्धान्तिक परीक्षा में शामिल हुए और उतीर्ण हुए। अधानक १४,११,१४ के समाचार पत्र में यह .समाचार आया कि बी०एड० में इनका नामांकन रदद कर दिया गया है। उसके बाद दिनांक- १७.११.१४ को इन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से बामांकन रटद् किये जाने से संबंधित सूचना की माँग किये जो इन्हें आजतक प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक- 17.01.2015 को बीठएड० का रिजल्ट निकला तो इन्हें पता चला कि लेहान्तिक परीक्षा में इन्हें अनुपरिचत दिखलाते हुए बी०एड० की परीक्षा में इन्हें फेल कर दिया गया है। इस प्रकार कुलपति अय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा किये अये द्वेषपूर्ण कारवाई के विरोध में इन्होंने अपना अभ्यावेदन महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को दिया है अहाँ से इन्हें जानकारी दी गयी है कि इनके अञ्चावेदन के आलोक में कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय से तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग की गयी है। कुलपति द्वारा इनके विरुद्ध की जा रही कारवाई द्वेषपूर्ण एवं बदले के भावना से प्रेरित है।

- (34) पिता- श्री केंद्रार बाथ सिंह, ग्राम+पो0- भागवतपुर, द्याबा- तरैया, जिला- सारण एवं 5.2 श्री आमोद कुमार सिंह (27) पिता- श्री योगेन्द्र सिंह, ग्राम+पो0- वरगहिया, व्यावा-मदौरा, जिला-सारण से वारी-बारी से अलग-अलग बयान लिया गया। उक्त दोनो गवाहों ने परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद पत्र एवं उसमें लगाये गये आरोपों का समर्यन किया। आगे बतलाया कि जानकारी के अलावा इंगके पास कोई अभिलेखीय सादय उपलब्ध नहीं है।
- (6) जॉंच दल का प्रतिवेदन :- जॉंच के दौरान दिनांक-25.11.14 एवं 22.01.15 को परिवादी एवं जवारों का बयान लिया जया तथा परिवाद पत्र की संपुष्टि हो जाने के पश्चात

lef

Seen (3)
HOSONUMBER (3)

5

दिनांक- 04.12.14 से 05.12.14 तक छपरा में कैंप करके जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में जींच दल द्वारा जींच किया गया। जींच के दौरान परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपो से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं उसकी सत्यापित प्रति पाप्त किया गया तथा जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के स्टोर का भौतिक सत्यापन किया गया। जींच के दौरान भंदार में उपलब्ध नये एवं पुराने डिआईन के उत्तर पुरितकाओं को बतौर ममूना विधिवत प्राप्त किया गया। C.U.P.L. को दिये गये आपूर्ति आदेश एवं किये गये भुगतान से संबंधित संविकाओं के अवलोकन पश्चात डा० दिवांशु कुमार, परीक्षा नियंत्रक वो अन्य कमियों का बयान दर्ज किया-गया जिसका उत्लेख इस जाँच प्रतिवेदन के संबंधित कंडिकाओं में किया जायेगा। जाँच के दौरान क्य एवं विकय समिति के तीनों मनोनीत सदस्यों से अलग-अलग स्पध्येकरण प्राप्त किया गया जिसका वर्णन तीचे की कंडिकाओं में किया जा रहा है :-

(7) जींच के दौरान नोंच Mannual of Bihar University Laws के statutes के चैप्टर "क्य एवं दिक्य समिति" के गठन से संबंधित नियम की सल्यापित पृति प्राप्त कर अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है

7.1 (I) Purchase and sales Committee

The Committee shall consist of the following :-

- 1. The Vice- Chancellor- Chairman
- The Financial Adviser
- Three members to be nominated by the Syndicate
- 4. The Finance Officer- Member Secretary
 The Committee shall consider annual requirements of
 University's stores including Examination stores, shall open and
 consider tenders and the samples and makes its
 recommendations for purchases to be made from time to time.

The Committee shall conduct auction and make arrangement for the sale of saleable articles or for settlement of land, orchards etc, of the University Estate.

7.2 सुलभ प्रसंग हेतु स्टेब्युट की सल्यापित छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनुलग्नक-2)

7.3 जाँच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि वर्तमान जय प्रकास विश्वविद्यालय, छपरा में कार्यस्त वर्तमान क्य एवं विक्रम समिति उपरोक्त नियम एवं प्रावधानों के तहत गठित नहीं किया गया है बल्कि प्रो0 द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति के अनुमोदनोपराज्य क्य एवं विक्रय समिति का गठन किया गया है जिस क्य एवं विकय समिति के सदस्य युलपति स्वयं नहीं है। संविका के

岐

Seen (14)
910 Solitude

अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि भी प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वित्तीय प्रश्नमंशी जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा दिनांक- 29.05.14 को कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वे पास एक टिप्पणी अंकित की गयी जो इस प्रकार है :-

- 7.4. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकाय की परीक्षा निकट भविष्य में होना है। इस सम्बन्ध में उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्र मुद्रण, एवं अन्य विषयों पर कय एवं विकय समिति की निर्णय अपेक्षित है। सिंडिकेट की बैठक निकट भविष्य में होना निर्श्वत नहीं है। ऐसी स्थित में परीक्षा का कार्य बाधित होना संभव है। अतः नियमित कय एवं विकय समिति की नद्धन तिर्धिकेट के बैठक के अभाव में नहीं होने के रिवित में तत्काल तदर्व कय एवं विकय समिति की बैठक कराकर परीक्षा से संबंधित विषयों पर अनुशंसा प्राप्त करना उद्येत प्रतीत होता है। अतः तदर्व कय एवं विकय समिति के तिए सदस्यों को नामित करने पर विवार किया जा सकता है। तदर्थ कय एवं विकय समिति के अनुशंसा की संपुद्धि सिर्धिकेट द्वारा जठित समिति में उपस्थापित कर प्राप्त किया जाने का आदेश दिया जा सकता है। हस्ताहार- प्यारे मोहन सहाय, दिनांक-29.05.14/तत्कालीन वित्तीय परामशी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
- 7.5. Realizing the urgency and exingencies of the situation for timely conduct of examination and in order not to delay any further the examination, your recommendations seem reasonble but in anticipation of concourence of Finance Committee and approval of Syndicate three names in respect of are recommended as below:— (1) Prof. Saroj Kumar Verma, Political Science, J.P. University
- (2) Dr. Ajeet Kumar Tiwari, Economics Department, J.P. University. 3 Dr. Anita, Hindi Department, J.P. University. This is only one time arrangement to solve the urgency and not for any other purchase committee meetings. Also, I would like to dissociate from the Committee as Chairman but would only consider any recommendations after the meeting. Minutes are brought to my attention and considerion. Purther, for next meetings, the names, duly recommended by Syndicate must come from there. Also get the proceedings of this emergent urgent purchase committee meet, endorsed by the Finance Committee. Sd/- Dwijendra Gupta, V.C., J.P. University, Chapra, dated- 29.05.14.

7.6 सुलभ प्रसंग हेतु कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश की जयाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनुलग्नक- 3) ।

7.7 जींच के दौरान कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि समय पर कॉपियाँ खरीदना एवं परीक्ता नियंत्रक को उपलब्ध कराना विसीय परामशी की जिम्मेवारी है जिनके सहमति एवं अनुमित के बिना विश्वविद्यालय में कुछ भी कय बिकय नहीं किया जा सकता है। परीक्षा बाधित नहीं हो इसलिए उन्होंने विशेष परिस्थित में विसीय परामशी की अनुशंसा को अनुमोदित किया है।

7.8 उपरोक्त नियम एवं कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा दिये जये जवाव से जींच दल को ऐसा लगता है कि वर्तमान कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा

LOF

44

gressitions (15)

दिनांक-29.05.14 के तिथि में जिस कय एवं विकय राभिति को गठित किया गया है वह वैधानिक नहीं है। यह क्य एवं विकय समिति निगरानी दल के जाँच के दिन तक संधालित एवं कार्यरत था। स्पष्ट है कि इस क्य एवं विकय समिति के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

(a) जींच के दौरान डा० दिव्यांसु युमार, परीक्षा नियंत्रक ग्रांस लिखित प्रमान दिया जया है जो इस प्रकार है :-

8.1. आदेशानुसार एवं विर्देशानुसार परीक्षा की अभिवार्यता एवं परीक्षा में शुविता रखने के लिए security feature से युक्त 0.4 लाख 3.2 पृष्टों की एवं 0.1 लाख 0.8 पृष्टों की उत्तर पुस्तिकाओं को आपूर्ति हेतु आदेश. C.U.P.L को 21.03.2014 को किया गया। इसके कर C.U.P.L. के द्वारा 0.9.04.2014 को 3.2 पृष्टों की एक लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गयी। एवं: 15.04.2014 को शर्म एवं 0.8 पृष्टों की 9.000 उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गयी। पुतः: 15.04.2014 को 0.8 पृष्टों की 1.297 उत्तर पुस्तिकाएँ एवं 3.2 पृष्टों की 0.3 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गयी। इस उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग TDCIII परीक्षा 2014 जो कि 1.6 मई से प्रारम्भ होनी थी, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रठाकर मौखिक आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार 0.3 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति 0.9 मई 2014 को की गयी। जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति 1.13 मई 2014 को की गयी। छात्र हित में यह आवश्यक था, उत्तर पुस्तिकाओं के अभाव के कारण परीक्षा को दाला नहीं जा सकता था।

उत्तर पुरिसकाओं की आवश्यकता को जान में रखकर संविका बहुत पहले वित विभाग के पास प्रश्तुत की गई थी। परीक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव हेतु विहित प्रक्रिया एवं विवि सम्भत प्रक्रिया को द्वारा आपूर्ति करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा गया था। कार्य का सम्पादन प्रकियानुसार हो, इसकी जिम्मेवारी वित्त विभाग एवं कुलसरिय महोदय की होती है। विश्वविद्यालय में बहुत सारी परीकाओं का संचालन करना होता है एवं निश्चित समय पर परीका लेनी पढ़ती है एवं विश्वित समय पर परीक्षाफल का प्रकाशन करना होता है। छात्रहित में यह आवश्यक है कि जिश्चित समय पर परीक्षा ली जाए एवं बिश्चित समय पर परीक्षाफल का प्रकारान हो। चूँकि विहित प्रक्रियानुसार दर का निर्धारण उस समय तक नहीं हो पाया था, अंतः ०७ लाख 52 पृथ्वों की एवं 01 लाख 08 पृथ्वें की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति करने के बाद भी C.U.P.L. द्वारा विसे हुये बिल को परीक्षा विभाग द्वारा परताब के रूप में वही बदाया गया वरिक एक अनुमानित राशि जो कि विधिसम्मत हो, के भुगतान हेतु प्रस्ताव दिया गया। पुनः ३१.०५. 2014 को Sales and Purchase Committee द्वारा दर को निर्धारित करने के बाद उजत फर्न के द्वारा दर के साथ सम्पूर्ण दिल को प्रस्तुत किया गया। दर के साथ सम्पूर्ण बिल प्रस्तुत करने के बाद ही Stock Entry कराबी कार्ता है। यही लेख बवान है। हस्ताशर- हाठ दिवांशु कुलार, परीका नियंत्रक, छपरा। सुलभ प्रसंग हेतु डा० दिव्यांशु कुमार द्वारा दिया गया वयाल दिनांक-05.12.14 मूल रूप में संल्वान है (अनुलब्नक-४)।

10d

Jeen (16)
nessituate (16)

उपरोक्त क्य एवं विक्य समिति की बैटक दिनांक-31.05.14 को विलीय सलाहाकार के कार्यालय कक्ष में हुई है जिसमें कमीटी के तीनों सदस्यों के अलावे वित्तीय सलाहकार तबा एक अन्य पदाधिकारी भाग लिये है जिनकी उपस्विति में आपूर्तिकताओं द्वारा दिया गया कोदेशन खोला गया है। खोले गए कोदेशन कमशः । स्वीफट ऑक्सेट प्रिन्टीन, अब्दूल गर्नी सेंड, फतेरपुर द्वारा 08.02.14, 2. जैक्शन वोलाराम ग्राफिक, कानपुर द्वारा 10.03.14, X⁹ द्वारा दिलांक- 09.04.14 एवं C.U.P.L द्वारा 13.03.14 को भेजा गया है। सबसे अंत में कोटेशम 09.04.14 को भेजा गया है जिसे 31.05.14 को खोला गया। खोले गये कोटेशन पर किसी आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर नहीं है और सबसे कम दर X9 का होते हुए भी आपूर्ति करने का आदेश C.U.P.L. को दिया गया है दुलनात्मक विदर्शी 05.12.14 की तिथि में बनाया गया है जिस पर वित्तीय सलाहकार का हस्ताबार नहीं है। बूँकि युलवातमक विवरणी बनने के पहले ही उनका स्थानान्तरण हो चुका है। कोटेशन खोनने के दिन देवलीकन बीड एवं फिनानशियन बीड की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आपूर्तिकतां C.U.P.L को उनका कोटेशन अनुमोदित होने के पहले से ही आपूर्ति करने का मौक्षिक आदेश दे दिया गया है। आपूर्ति करने के पहले ही 50 लाख रूपया अग्रिम दे दिया ज्ञाचा है जो इस वातों को दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के प्रधान जो कुलपति होते है उनसे C.U.P.L की सांठ-गांठ है और प्रधान के मर्जी के अनुसार C.U.P.L को भुगतान दे दिया जा रहा है केवल फोरमलिटिज को पूरा करने के लिए अभिलेखों को तैयार एवं संधारित किया गया है। आपूर्तिकर्ता C.U.P.L द्वारा अधिम राशि प्राप्त करने के बाद की तिथियों में आपूर्ति किया गया है एवं विल दिया गया है इसप्रकार C.U.P.L के द्वारा जो भी आपूर्ति किये गये हैं वे सभी भियमानुकुल नहीं है और परिवादी द्वारा लगाये गये आरोपों को पुष्टि करता है। सुलभ प्रशंग हेत् सभी कोटेशन दाताओं द्वारा दिये गये कोटेशन क्य रामिति द्वारा बनाया गया तुलनात्मक विवरणी एवं की जयी टिप्पणी तया प्रोसेंडींग की छाया प्रति श्रीमान के अवलोकनार्व संलग्न है।

(अनुलग्नक- 5/1/,5/2,5/3, 5/4, 5/5,5/6)

8.3 जींच के दौरान जींच दल द्वारा क्य समिति के तीनो सदस्यों से स्पष्टीकरण की माँज की गयी। उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया जया वह मूल रूप से श्रीमान के अवलोकनार्य संलग्न है। जींच दल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण के साच लगाये गये अनुलग्नक में विरोधाभारा है केवल C.U.P.L को नदद पहुँचाने के नियत से क्या समिति की बैठक की खानापृति की गयी है। सुलभ प्रसंग हेतु कय समिति द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अनुलग्नक राहित मूल रूप में संलग्न है। (अनुलग्नक-6/1,6/2,6/3)

(9.1) युलसविव जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा उपलब्ध करायी गया विवरणी के अनुसार C.U.P.L को दिनांक- 21.03.14 को 32 पन्ने का 04 लाख कॉपी एवं 08 पन्ने का 01 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था जिसकी आपूर्ति उनके द्वारा की गयी और 02.06.14 की तिथि में 53 लांख 75 हजार रूपये का बिल विश्वविद्यालय को दिया गया जिसके एवज में आपूर्तिकर्ता को कमशा 26.03.14 एवं 13.05.14 के तिथियों में कुल 50

14

3000 (17) 9058/3/1/5

लाख रूपये राशि का भूगतान किया गया है अर्थात बिल दिये जाने के पहले तिथियों में ही आपूर्तिकर्ता को 50 लाख रूपये अग्रिम राशि का भूगतान कर दिया गया है। दूसरी बार C.U.P.L. को आपूर्ति करने का आदेश 13.05.14 को 32 पन्ने का 03 लाख उत्तर परितकाएँ आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। आपूर्तिकर्ता में दिनांक-06.06.14 को आपूर्ति किया है उसी दिन स्टॉक इब्दी हुई है लेकिन बिल की तिथि 02.06.14 है। आधुर्तिकर्ता द्वारा 37 लाख 50 हजार रूपये की माँग किया गया है इसके एवज में उन्हें 12.06.14 को 34 लाख 80 हजार 775 रूपये भूगतान कियां जया है। तीसरी बार आपूर्ति करने का आदेश ३ १.०५.१४ को दिया गया है जिसे आपूर्तिकर्ता में 02.08.14 को आपूर्ति किया है उसी दिन स्टींक में प्रविष्ट हुई है। 15.07.14 की तिथि में 48 लाख 75 हजार रूपये का बिल दिया जया है इसके एवज में दिनांक- 27.08.14 एवं 29. ०८.१४-को मिलाकर कुल ४५ लाख ३१ हजार ७६४ रूपये का मुगतान किया जया है। अदीत प्रदेश से लेकर तृतीय तक जो भी आदेश आपूर्तिकर्ता C.U.P.L. को दिये गये है वे सभी अवविभित कय समिति की बैठक के पूर्व के तिथियों में है और आपूर्तिकताओं को दिये गये आदेश की प्रति नींच कर्ता को इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जया क्योंकि आपूर्ति करने का आदेश मीखिक हा। इस प्रकार मीकिक आदेश पर आंप्रतिकर्ता C.U.P.L द्वारा आपूर्ति किया जाना उसका वर अनुमोदन के पूर्व उसे करोड़ी का भूजतान कर दिया जागा यह दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ता और प्रधान के बीच विशिवत रूप से तालमेल है और सुविधाजनक स्थिति में दोनो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही प्रतीत होता है। सलभ प्रसंग हेत् कलसचिव द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरणी की छावाप्रति श्रीमान के अवलोकनार्य संलान है। (अनुलामक- 7/1,7/2,7/3,7/4,7/5)

- (9.2) जीव के दौरान जींच दल को यह तथ्य उजागर हुआ कि उत्तर पुरितकाओं के आपूर्ति के अतिरिक्त C.U.P.L को गोपनीय छपाई के नाम पर लाखों की राशि का भुगतान किया गया है तत्संबंधी जाँच करने पर कुलसविव द्वारा विवरणी उपलब्ध कराया गया है कि C.U.P.L को गोपनीय छपाई के नाम पर चेक नंग- 004352 दिनांक- 03.06.14 हो 14 लाख हम हजार 549 रूपये का भुगतानकिया गया है। इस संबंध में कुलसबिव द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण संलग्न है (अनुलग्नक- 8/1,.)
- (10) आँच के दौरान परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप की स्टॉक में 00 लाख पूर्व से उत्तरपुरितकाएँ थी वावजुद इसके बिना प्रक्रिया अपनाए C.U.P.L रो उत्तर पुरितकाएँ क्य की गयी है के सम्बन्ध में सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रावार्य से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तबा विश्वविद्यालय के रदोर का भौतिय सत्यापन किया गया है। कुल 32 कॉलेज में से 30 कॉलेज का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका टोटल करने पर पाया गया कि महाविद्यालयों के स्टोर में 2014 के आरम्भ में कुल 2 लाख 59 हजार 579 उत्तर पुरितकाएँ वधी हुई है इसके अलावा 2014 के आरम्भ में विश्वविद्यालय के स्टोर में 01 लाख 75 हजार, 40 पृथ्व वाला कॉपी बचे हुए है अर्थात कुल सादी कॉपियाँ 04 लाख 34 हजार 579 बची हुई थी। विशेष परिरियति में

91550141490 91550141490

10

इन कॉपियों का उपयोग किया जा सकता था लेकिन इसको रोककर नई कॉपियों विना प्रकिया अपनाए खरीदी एवं परीक्षा केन्द्रों पर भेजी गई जो इस बात का द्योतक है कि कॉपियों की खरीदगी में केता से अधिक आधूर्तिकर्ता उत्सुक थे जिन्होंने बिना प्रकिया अपनाए आश्वासन पर कॉपी का आपूर्ति किया है और भुगतान लिया है जो केता एवं आपूर्तिकर्ता का आपसी सम्पर्क और संबंध को उजागर करता है।

.(11) जाँच के दौरान C.U.P.L को किये गये भुगतान से संबंधित संविका कर अवलोकन किया गया। जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि संविका का प्रवम पृष्ट 25.03.14 की तिथि में लेखा अधिकारी को परीक्षा नियंत्रक द्वारा लिखा गया है कि आपूर्तिकर्ता C.U.P.L द्वारा 40 लाख रुपयें की अधिम की माँगं की गई है। लेखा अधिकारी द्वारा 25.03.14 की तिथि में शाखा प्रभारी को टिप्पणी अंकित करने हेतु लिखा गया है। उसी दिन शाखा पदाधिकारी ने अपनी टिप्पणी अंकित किया है कि निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है दर की वुलना में क्य समिति द्वारा निर्धारित दर 40 पृष्टों के उत्तर पुरितकाओं का मुख्य 10 रू एवं 08 पृष्टों के उत्तर पुरितकाओं का मुख्य 04 रूपया निर्धारित है C.U.P.L द्वारा ३२ पृष्ठों के उतर पुरितकाओं का मुल्य 12.50 एवं 08 पृष्ट के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्य 3.75 दर्शाते हुए अक्रिम का मौंग किया गया है। दर में बदोतरी है प्राईवेट प्रतिष्ठान को अग्रिम भुगतान करना अंकेक्षण द्विष्टियेण से उचित नहीं लगता है। उक्त टिप्पणी के बावजुद लेखा पदाधिकारी द्वारा कुलसचिव को 30 लाख रूपये अधिम के रूप में C.U.P.L को भूगतान करने हेतु अनुशंसा किया गया है। कुल सचिव ने 26.03.14 के तिथि में यथा प्रस्तावित लिख कर संचिका श्री प्यारे मोहन सहाय, वित्तीय परामर्शी को भेज दिया है। उसी दिन वितीय परामशी ने कुलपति को अनुशंसा किया है और उसी दिन कुलपति द्वारा As proposed लिखकर संचिका लीटा दी गई और उसी दिन 26.03.14 को चेक C.U.P.L के प्रतिनिधि को प्राप्त हो गया है जिसका हस्ताक्षर संविका पर उपलब्ध है। पूर्व की भारति दिनांक- 13.05.14 को C.U.P.L. द्वारा पुनः अग्रिम की माँग की गयी। वित पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव से सहमति जताते दुए कुलसदिव को अनुशंसा की गई है। कुलसविव ने वितीय परामशीं को संविका बढाते हुए अपनी टिप्पणी अंकित किया है कि बिना विहित प्रकिया अपनाए भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है। वितीय नियमों का पालन कराना वितीय परामशीं का दायित्व होता है। वितीय परामशीं द्वारा उसी दिन कुलपति को टिप्पणी अंकित किया गया है कि C.U.P.L ने 03 लाख उत्तर पुरितकाओं का आपूर्ति कर दिया है जिसको ध्यान में रखकर तत्काल C.U.P.L. को 20 लाख रूपये अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है उसी दिन कुलपति ने As proposed nothing is away लिखकर संविका को लौटा दिया है उसी दिन C.U.P.L के प्रतिनिधि को 20 लाख रूपये का भुगतान किया है। उत्तर पुरितकाओं की आपूर्ति के भद में C.U.P.L. द्वारा भेजा गया 01 करोड़ 40 लाख रूपये के दिल के एवज में उसे 01 करोड़ 30 लाख 52 हंजार 759 रूपये का भुगतान 05 बेंक के द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया है जिसका उल्लेख अबुलन्नक 7/2 एवं 7/3 में है। C.U.P.L द्वारा

4

1.1

अभीतक कुल १४ लाख उत्तरपुरितकाओं का आपूर्ति किया गया है जिसका उत्लेख अनुलग्नक-७/४ में है। संविका की छायाप्रति श्रीमान के अवलोकनार्य संलग्न है। (अनुलग्नक:- ८/२)

- (12) जाँच के दौरान अभी तक यह सिद्ध और साथित नहीं हो सका है कि C.U.P.L का वास्तव में कार्यालय इलाहाबाद या बम्बई में है। C.U.P.L ने अपना निर्वधित कार्यालय बम्बई दर्शाया है जबकि निर्वधन इलाहाबाद के पता पर लिया गया है। इस फर्म को सत्यापित करने के लिए इलाहाबाद और बम्बई जाकर जाँच करना आवश्यक प्रतीत होता है। फर्म के निर्देशकाण एक ही परिवार के प्रतीत होते है। सुलभ प्रसंग के लिए C.U.P.L का निर्वधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनुलग्नक- 9/1)
- (13) अभी तक के जींच से परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में लगाये जये आरोप सही प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रथम द्रष्टवा साक्ष्य उपलब्ध है:-
 - ा. प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
 - श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन विसीय परामशी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
 - 3. श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
 - प्रों० सरोज कुमार वर्मा, राजनीति शास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-संह-कथ बिक्य समिति के सदस्य।
 - डा० अजीत सुभार तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय बिकय समिति के सदस्य।
 - डा० अनिता, हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कथ विकथ समिति के सदस्य।
 - निदेशक, चन्द्रकला युनिवर्सल प्राईवेट लिमिटेड, 118 बी. wing.Ansa Industrial Estate, Andheri East, Mumbai- 400072
 - .८. अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगी गण।

अनुलग्नकः- यदोपरि।

विश्वासभाजन

(आर०के० पोदार)

पुलिसं उपाधीक्षक-सह-जॉंच प्रभारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना। अनुसूची 47, प्रथम संब-118 ओं की प्रथम संब-26 (निवस-143) * ANN-6 *

49 com

प्राथमिकी (F.I.R.)

135783

			and the same of	A			
			(to so pio 9	मे भग 154 के अभी २०४० व व व व	1/15 R. 20-	8776	15
L	-Laured HO	*अनुमहल.८३/.८	चानाः मुख्या प्रदेश	7. 11 2015	°प्राथमिको सं० 🔉	64/15	First 1.6
	(Distt.)	(S. Div.)	(P.S.)	(Yt.)	(F.I.R. No.)		(Date)
2	(I) *अधिनियम	F (Act)	70/90	*भार	*(Sections)3.	41/34	2/302
	(II) *अधिरियम	(Act)	*	- भारा	*(Sections)	34/50	6/34
	(III) *अधिनियम	(Act)	×	+भाग	र् *(Sections)		Lin
	(IV) *अन्य आंध	वनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sec	tions)			20100
-					14/10/15 +tatio	aa. \	1-10-13
	(Occurance of o	offence)	(Day)	(Date from	i) (Dat	e to)	
	- सम्याजीय (पहर	· + 60	7	- चने से	Y:36 3	ग्राह्म न	यज तक
	(Time period)			(Time from			(Time to)
	(ख) धाना में प्रा	प्र मूचना तिथि	16/10/15		समय 17/3	1150	3
	(त) प्राथमिको द	र्ज करने की विधि.	16/10/1	5	нич 17.3	0 90	-
					ниа 17.3		
4	स्थना का प्रकार	(Type of informa	tion)	*1	लखित/मीखिक (Wnite	en/Oral)	
	प्रशासम् । (क	। धाना सं दिशा ए	मा पूर्व	1		+5//	
			214749131	नियम विद्या	नुम् थाना	4447 3	rounds-
		विद्या ख	7207		^		-
	(ग) धाना की सं	ोमा से बाहर शाने प	ी दशा में धाना का न	14		विस्ता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	परिवासी/सूचना दात	en a					
	(≠) नम _2T	4 car f	वेजम देव	YX700 9	15 to for 1 211	79)	
	(ख) पिता पृत्ति क	त नाम द्वि ०	KIN A	CDF.			
	(ग) जन्म तिथि			(घ)	राष्ट्रीयता	14	
	(ड.) पारपत्र संर		নিৰ্ণম বিষি			PE	
	(च) पंशा		- h	La la			
	कामार देते (क) तथा न्यूर्	म रामीप रा गाना मा	पुलिए नाव भान काजार	म क्षिश्र मिला ए	५ के खहै ज गरण	Bur	10.11.7 _

		obse for	www.ef for	eपता तथा अन्य वि	वरण :-			
शादग्धः *स्मिम् (Sex.)	*3 (तिथि Date	मतिथि मास/वर्ष) of Birth		*शारीरिक गठन (Build)	1	क्रैचाई से० मी० में (Height in Cms)	न्यर्ग (Complexion)	*ঘচনান বিহা (Identificatio mark)
1.568.1	(Date/N	fonth/Yes	lf)	3	-	4	5	- 6
(D	um/famules/	et	≈tfa (Teeth)	श्यात (Hair)	+ad (Ey		*आरर्ते (Habits)	पृष्टन्त्व (Dress Habits
po	cultarities)	-	8	9	1	0	11	12
(Li0	nguage/		हा विशास Mark)	= হথন জুন্দ (Leucoderma)	=fixe (Mol	Day ST	•जख्म चिता (Scar)	*गोदन (Tattoo
	13	(Dul)	14	15	16		17	18

प्रिविष्टण की आएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंथिक सुधार के प्रयोजन से ही फिला जाएगा।

इस प्रकार कराए यह आंकड़े बाद में किसी सीराध व्यक्ति को विधिन शामार्ग गाँद कोई हो, से ओड़ेगा। यह आहे आंशपूक्त पिरक्तार किया बारू तब पूर्व-संदेत पर विचार के फिए बिना सभी बालों से संबंधित ज्यापक और पूर्व आंकड़े पूर figu series ...

स्वाम कल्यानी व गरीनम् जाराष्ट्र मारा किया के मा के मारा । विभाग - अमिन है का माह अगर में १०15 है अम्बद्धा रेमा निस्मित मा अवरोधा । रेमा अवस्था अवस्था की अरोह आवका स्थान करें। स्ट्रेंग मेरी केरी मार (अवस्थात) १/ महत्या मणा है। विद्र से केरी मीं बीगार नाल रही ? शिक्षा उन की दवा आहे एवं निक्ति का देन हैं। नाकी आर्थिन महिनाई जन्मला हो गई है। मेरे उसन बार (अगारम कार किया केरन रोड़े जाने में रहिमारी) 457 mis 45 1 warmi of net unt हीं व्या तिरुड़ा रूपे तिर्माति के विकास अवा निर्मा है से अपन मार (अलात 2015) का बेमन के पुरित का उत्तरेश 14 x7 541 A 21141 ADA REMINIST Kist 9 6/10/15 (राषु रागिकाम देन) MANDEN TRINGPA कारी वि किए गई के गांग STOREST ADVITURY ६५८७ /

8.	परिवादी/मूचन दाता द्वरा सूचन देने में हुए किलंब का कारण :
0.	चुरायो गई/अर्लग्रम्त/बरामर सम्पत्तियों के ब्योरे (बर्दि आवश्यक हो तो अलग में पन्ना लगावें)
10	• भुशां गर्गा/अजीग्रस्त/भगमर ग्रम्पांतयों का कृल मृल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)
11	अस्याचाधिक मृत्यु कांड मं∘, यदि हो तो (U. D. Case No., if any)
12	प्राथमिको को अन्तर्वस्तु (अलग से पना लगायं, यरि आवश्यक हो)

ाण वाधार मिला सम्म

प्राप्

नारि का लिखित आवेष्म और व नाण को । माल आपार है का माल प्राप्त के साम ख चापा भीते अन्म के साम धीणावाम है।

> केरा में केराविक निर्माति हैं। किरा केरा किराविक

कार्रवाई : चूँकि उपयुंका मुचना से मर सं० 2 में डिल्लिकिन धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकार होता है अत: कांड रजं वा पर्च अनुसंधान ग्राराध किया (अनुस्थित करने से इन्कार किया) अधिकारिता के प्रश्न पर परनाम पुरुष्ट करने कर क्या गया। ग्राधीमकी परिचारी/मूचनाराता को पदकर मुनायी गयो। उसने उसे मही रूप में अधिनिक्षित किया गया, प्रकार स्थीकार किया गया। ग्राधीमकी परिचारी/मूचनाराता को नि:शुल्क दी गयो। (Action taken . Since the above report reveals कांगा धाँ offence (s) ш's as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation / कांगा पात का हरनाध्यर जोग्दा का निशान।

मान प्रमान का मिनिति।

fleni arrini

49

GR No- 5931/15

R. No. - 8776/15

प्राथमिकी (F. I. R.)

(दं0 प्र0 सं0 की धारा 154 के अधीन)

*fö (Di	istt.	सारण)	.*अनुमंडल. (S. Div	सदर .)	*थाना. (P.S	मुफ्फसील. i.)	*वर्ष2015. (Yr.)	*प्राथमिकी सं 24 (F.I.R. No.)		तिथि16/10/2015 Date)
(1)		*अधिनियम	(Act)	भा.व.वि		*धारारे	(Sections)	341/342/3	23	
(II)										
(III)	1)									
(IV										
(a)										
(41)	0).	(Occurre	ence of offe	Iчтчч :nce)	(Di		हा*।ताथ स. (Date fr			थे तक Date to)
		समयाव	धि (पहर)	छठव	ř	वजे से	4:36 अपरा	हन	बजे तक	
		(Time)	period)			(Time from			(Time to	
(ख)	ij	थाना मे	प्राप्त सूच	ना तिथि	.16/10/2	2015		समय	17	'30 ৰতা
(H)										7:30 बजे
(घ)										7:30 बजे
सूच	ना	का प्रकार	(Type of i	nformation)			R	।खित/मौखिक ([°]	Written/Or	ral)-
घटन	ना	रथल- (क) धाना से	दिशा एवं ट	री पर	त १०		-	Trio	VIII
(শ)	93	गना की सं	ोमा से बाह	र होनें की र	इशा में थान			जिला		
परिव	गरी	/सूचना	दाता :							
(ক)	ना	म राः	३ रणविजय	। देव, प्रशाख	। पदाधिकार	री, विधि शार	п			
(ন্ত্ৰ)	पि	ता/पति व	हा नाम	स्व० राम	जी राम					
4.3										
(ग)	থাপ	म ।ताथ			(घ) २	ाष्ट्रीयता	मारती	4		
(8)	पार	पत्र सं0	x		निर्गम वि	तेथिx.	िर्गम	खान	x	
(च)	पेश	п	नौकरी							
(A)	पत	I— ग्राम स	भीय पुलिस	न नाका सं०	214 के सर्ट	पश्चिम का	शी बाजार छपर	ा थाना–भगवान । ४७७८		D. fitso
								* (1000)	(4	P
								(num	inda	4 Kumos MI)
								CHOS	AOR	a Kumor (M)
									- A - CON-	

अनुसुधी 47, प्रपन्न सं0- 118

ज्ञात/सर्दिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाए)

(1) बाठ रवि प्रकाश बबलु कुलसचिव ज	य प्रकाश विश्वविद्यालय	छपरा कुछ अञ्चात	

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*सिंग (Sex)	*जन्म तिथि (तिथि / मास / वर्ष) Dute of Birth (Dute/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊचाई से0 मी0 में (Height) (In Cms.)	*iquf (Complexion)	*पहचान चिन्ह (Identification mark)
1	2	3	4	5	6
	-		-	-	

*विस्त्रपता / विस्तरणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*ऑख (Eye)	*आदर्ते (Habits)	*पहनावा (Dress Habits)
7	В	9	10	11	12
-	-	-		-	-

	स्थान							
*मामा / बोली (Language/Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कच्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जरम चिन्ह (Scar)	*गोदना (Tation)			
13	14	15	16	17	18			
-	-	-	-	-	-			

यदि परिवादी/इस्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति हारा संदिश्व व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायें दी जाए तभी इन स्तंभों में प्रविष्टियाँ की आएंगी । इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंगिक सुधार के प्रयोजन से ही किया आएगा ।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोडेगा ।

अब कोई अभियुक्त गिरफतार किया जाए तक पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकडे पुनः तैयाव किए जाएंगे ।

(Avanimers Kumar Pts)
AND 03548

Registered Muffasil P.S., case No. 2615 dt. 16-10-2015 u/s 341/342/323/504/506/34 IPC SI Akhleswur Ram will be investigate this case.

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, मुफ्फसिल, छपरा ।

विषयः डॉo रविप्रकाश बबलू, कुलसचिव, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला करने हेतु उनके द्वारा समर्थित असामाजिक तत्यों को उकसाने के संबंध में ।

महोदय.

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको सादर सूचित करना है कि समय 4:36 अपराहन में करीब जब मैं अपने बकाये वेतन अगस्त माह 2015 का जो अकारण कुलसचिव द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, को विमुक्त करने हेतु अनुरोध करने के लिए उनके कार्यालय में गया ।

मैंने उनसे कहा कि श्रीमान् मेरा वेतन किस गलती के कारण रोक दिया गया तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि भागते हो कि नहीं, नहीं तो अभी इसी छत से फेकवा दूँगा जिसका मैं विरोध किया तब तक कुछ मुँह ढ़के हुए व्यक्ति मुझे कालर पकड़कर छत से फेकने का प्रयास किया और ये कुलसचिव कह रहे थे कि मुआ दो इसे, बहुत ही यह हरामी आदमी है।

कुछ कर्मचारियों (वि0 वि0 के) के बीच-बचाव से मेरा जान बच पाया ।

अतः मेरी रक्षा की जाय ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक— मेरा आवेदन दिनांक 6.10.15 एवं 14.10.15

ह0 / -

16.10.15 राय रणविजय देव

प्रशाखा पद0

विधि एवं सूचना विभाग जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

स्थायी पता राय रणविजय देव पुत्र स्व0 रामजी राय समीप पुलिस नाका सं0 2/4 के सटे पश्चिम काशी बाजार छपरा (उम्र 35 वर्ष करीब)

(Avoninates Kumar KI)
AND 03548

Braj Bhushan Singh 16.10.15 S.I. Muffasil P.S. कुलसचिव महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

विषयः आवेदक का माह अगस्त 2015 के अवरूद्ध वेतन की विमुक्ति का अनुरोध । महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है उक्त माह (अगस्त 2015) का मेरा वेतन बिना मेरी कोई गलती/दोष के ही रोक दिया गया है ।

विदित हो कि मेरी माँ बीमार चल रही है जिसमें उनकी दवा आदि एवं चिकित्सा हेतु मुझे काफी आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है । मेरे उक्त माह (अगस्त 2015) का वेतन रोके जाने के संदर्भ में मुझे कोई पूर्व से सूचना भी नहीं थी ।

में पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से विश्वविद्यालय कार्यालय में सेवारत् हूँ ।

अतः नम्र निवेदन है कि मेरे उक्त माह (अगस्त 2015) का वेतन विमुक्ति का आदेश देने की कृपा की जाय ।

> विश्वासमाजन, ह0 / – 6.10.15 (राय रणविजय देव) प्रशाखा पदाधिकारी विधि एवं सूचना विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा ।

(Avanimon Kumper 185)

Apol 100 03548

कुलसचिव, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

विषयः आवेदक का माह अगस्त 2015 के अवरूद्ध वेतन की विमुक्ति का अनुरोध । महाशय,

उपर्युक्त विषयक मेरे द्वारा समर्पित आवेदन पत्र दिनांक 06.10.15 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में आपको स्मारित करते हुए कहना है अब तक मेरा अगस्त 2015 का लिम्बत वेतन के भुगतान के संदर्भ में आपके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया । मैंने स्वयं आपसे मिलकर भी अपनी आर्थिक कठिनाई बताते हुए (मॉ की बीमारी आदि) आग्रह किया पर आप मौन रहे । आपने मेरे वेतन को अवरुद्ध करने का कोई भी समुचित कारण भी नहीं बताया ।

विदित हो कि पैसे के अभाव में मुझे काफी दिक्कत हो रही है और यदि मेरा शीघ वेतन नहीं मिलता है तो मुझे अकथनीय एवं अपार क्षति होगी ।

अतः प्रार्थना है कि मेरे उक्त माह (अगस्त 2015) का वेतन यथाशीघ्र भुगतान किया जाय ।

> विश्वासमाजन, ह0 / – 14.10.15 (राय रणविजय देव) प्रशाखा पदाधिकारी विधि एवं सूचना विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा ।

(Avanindra Kumar /29)
ADR NO 03548

अनुसूर	थी 47, प्रपन्न सं0— 118	54
8.	परिवादी / सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण :	
9.	चुरायी गयी/अन्तर्गप्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाये)	
10.	*चुरायी गयी/अन्तर्गग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recov	
11.	*अस्वामाविक मृत्यु कांड संo, यदि हो तो (U.D. Case No., if any)	
12.	प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)	

True Typed copy of its orginal

(Naninota Kumar [24)

ANN NO-03548

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0- 118

वादी का लिखित आवेदन जो इस काण्ड का मूल आधार है का मूल प्रति मूल के साथ एवं छायाप्रति अन्य के साथ संलग्न है ।

> ब्रज भूषण सिंह 16/10/2015 पु. अ. नि. छपरा गुरुकसील धाना

13. की गई कार्रवाई चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं0 2 में उल्लिखित घाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ कियाअखिलेश्वर राम.. पदनाम.....पुठ अठ निठ..... का अनुसंधान करने का निर्देश दिया / अनुसंधान करने से इन्कार किया / आधिकारिकता के प्रश्न परथाना को अंतरित किया गया । प्राथमिकी परिवादी / सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी । उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी / सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी । (Action taken: Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case took up the investigation/directed* Rank to take up the investigation.)

14. परिवादी / सूचनादाता का हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान ।

15. धाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथ्वि एवं समय-

ब्रज भूषण सिंह 16.10.2015 थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

퀴커 (Name)..... . ग्रज भूषण सिंह. पदनाम (Designation) पु.अ.नि. छपरा मुफ्फसील थाना ।

Avaninder Kumer /29)
April 03548

17,

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

(2)

्र जात/सरिपंश्वितात अभियुक्त का विवरण वर्षि आक्ष्यक हो तो अल्या व वन स्थाप।

(क) पूर्व पाल पानि के पूर्व उजीतार (क) पूर्व उहामक मूल्या का।

(क) पूर्व उक्कामक जाजील जारपण प्राप्ता (

मोदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य किवरण :

*लिंग * (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Buth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	क्जैवाई से॰ मी॰ में (Height in Cins)	•श्रम (Complexion)	*usan ten (Identification and)
1	2	3	4	5	
			uliant, o		
			52.03	10.7	

*विरूपतः/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*रांत (Teeth)	*ater (Hair)	•आँड (Eye)	*ançă (Habits)	98300 (Dress Habi
7	8	9	10	- 11	12
	17 36	E Des		STATE OF	

* भाषा/बोली (Language/ Dialect)	श्वले का निशान (Burn Mark)	+एवंत सृष्ट (Leucoderma)	*विल (Mole)	श्वास्त्रः चित्रः (Scar)	-vites (Tation
13	14	15	16	17	16
	1	13	10		- 17
				1-1-170	

र्याद परिवादी/इक्तिला देने वाले/पीडित व्यक्ति द्वारा सॉदम्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिय जिल्लाहरू है जल उन उन्हें प्राप्त प्रविधियों की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायताओं केवल प्रारीभक सुधाए के प्रयोजन से ही किए जाएंग

६२) प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद हूं किसी संदिग्ध व्यक्ति को विधिन्न मामली, यदि कोई हो। में जोड़त

जय कोई आभियुक्त गिरमतार किले जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों में गोर्चांभार राज्यक और पूर्ण कारण किए जाएंथे। ज्ञान विश्वविद्यालय, छपरा के प्रशासनिक भैवन के कुलपति कोषांग व विश्व शाखा से संबंधित कुछ गहत्वपूर्ण मूल संचिकार्ये (जो पूर्व में सादी उत्तर पुस्तिका घोटाले से संबंधित नियरानी विभाग द्वारा दर्ज केस नंठ- 10/2015 से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य था) के गायब होने के संबंध में।

12-112-12

ानगढन है कि उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर स्थित ्राप्ताम वित्ता शान्त्रा, परीक्षा विभाग एवं कुलसचिव कोषांग से कई महत्वपूर्ण न प्रशिक्त भारत्य है जो वि निगरानी विभाग द्वारा पूर्व में दर्ज प्राथमिकी सं0-10/2015 ् । सहिद्या महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो अभी तक ट्रेसलेस हैं। इस संदर्भ "मैं"। ु जुलपति कोषांन के पूर्व सहायक मुन्ना कुमार एवं राजीव नारायण प्रसाद से भी पूछताछ " कें किया गया. लेकिन वे इस संबंध में अनिभन्नता जताए। उपरोक्त मीयंब संभी मूल अविकाएँ नियसनी विभाग द्वारा दर्ज सादी उत्तर-पुरितका घोटाले सामले से लॉबॅघित मूल वस जी जी साक्ष्य हैं राध्या जक्त मोकदमें के संदर्भ में माननीय हॉजिंमतेय, की आदेशानुसार ा अल्पान व पूर्व रिवारट्रार व अन्य लोगों के विरुद्ध पदभूकित व निवास्वन की कारवाई का जो चुकी है तथा निगरानी केस में प्राथमिकी अभियुर्वेस, होने "के बावजूद भी पूर्व गोठगोठ व पूर्व रिजिस्ट्रार अपने पद पर काफी दिनों तक बने रहे। अत उपरोक्त परिस्थिति व तथ्यों के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि निगरीनी कंस के कुछ महत्वपूर्ण नामनद अभियुक्त द्वारा उक्त संविकाओं की निष्यांनी कंस में साक्ष्य नष्ट करने हेत् पूर्ण आपस्त्रिक साजिश के तहरा अपन पट प्रमुख त' गरिमा का दुरूपयोग करते हुए व वीटिंग, फोर्जरी व अमानत में खुयानत, के नीयत से व नियरानी केस से बचने हेतु, गायब किया व कराया गया है व दुप्रशेक्त अवराह्म की कारित किया गया है।

अतः निवेदन हैं कि द्विपरीक्ष तथ्यों के संदर्भ में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करते दूर अपने रतर सुरूउचित कार्नुनी कार्रवाई किया जाय व उपरोक्त गायब किये गए मूल सिवकाओं को तदकाल प्रभाव से यथाशीच्च बरामद किया जाय ताकि निगरानी विभाग को तसमय उपराक्ष प्रताकारका सके।

माननीय कुंलपति के आदेश से

शिवितिया प्रवितः

्रिक्षान सिविव सञ्चयान-सह-कुलाधिपति, विद्यार गटना ' 2. पुलिस अधीक्षक-सह-अनुसधानकर्ता, निगरानी कांड संख्या--10/2015, निगरानी अन्वेषुणूं' व्यसे, पटना ' प्रार्थी (प्रो0 उमाशकर यादव) कुलानुशासक जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा GOVT, OF SHAR Separation of Shapes Sare a Score, Chapes COURT FEE

प्रारं शायात राज द्वार अथवा देने में हुए शिलांत के कारण : बुगार भा अञ्चलक बागमर मध्यतियों के ब्योर (यदि आवश्यक हो तो अलग में पन्ना लगायें। ा पूर्व को अनेवाक बाबर सम्पनियों का कृत पूर्व (Total Value of properties stolen/involved/recovered) is serveries any sets tio, telt to tel (U.D. Case No., if any) -ार्याच्या को जनवंदन् (असर से पना लगाई, परि आवश्यक हो) *1124 11111 Saran Schire, Chapital COURT PEE L. Grief ** THE THE THE THE THE PERSON NAMED ASSESSMENT 05≈ 四王名

. (3)

852128 -22.76 60

(4)

W. W. 6.12



बादि का लिखित उननेदन भी उदा कार का भूख काव्याद हैं का भूख घरी भूख ने चाप एन दामा घरी अन्य के श्वान संगटान्न है।

Mineral City

20 de 20 100 - 01-11 611 20 100 20 100 - 01-11 611

कार्रवाई : चुकि उपर्युक्त सूचना से घट सं० 2 में दल्लिखन घाएओं के अन्तर्गत अपराध किया खाद प्रकट होता है अत: काह दर्व
पर पर अनुसंधान प्रारम्भ किया अनुसंधान करने से इन्कार किया! अधिकारिता के प्रश्न पर पर प्राप्त करने का पिरीप्त दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया! अधिकारिता के प्रश्न पर प्राप्त कर की आधिकिखन किया गया, प्रकट खीका:

उसकी एक प्रति चरिवादी/सूचनादाता को पदकर सुनायी गयी। तसने उसे सही रूप में अधिकिखन किया गया, प्रकट खीका:

उसकी एक प्रति चरिवादी/सूचनादाता को निःशुक्त दी मुन्नी। (Action taken: Since the above report reveals on of offence (s) a/s as mentioned at Beth No. 2 registered the case and tosok up the investigation.)

Rank to take up the investigation.)

गा राजा का हरनाकर/अनुत कर निन्धान।

गालाय में प्रेमण की विधि एम समय -

170070 Frem-141 प्राथमिकी (बंध प्रध्य संध्या भाग । १५ के अधीय। -प्राथमिको स॰ २५२ | 15 - fafu 31 | 131 15 21 वट मेर विकास स्वाप्त का प्रकार के प्रकार के प्रकार का प्रक का प्रकार का प्रकार का प्रकार का प्रकार का प्रकार का प्रकार का (Date) (Yr.) (ELR. No.) 15 Dw.1 *4000 *(Sections) 420/ 409/54 richron (Act). LACO. ार अने शिवाम गर्य भारते (Other Acts and Sections)... often Section Long states it seems 1 may office me ___o offence) (Day) (Date from) (Date to) The same of the same (Time from) (Time to) Time periodi (१) वाचा देविको संदर्ग-प्रविष्टी सं निखित/मोखिक (Written/Oral) जुनम का प्रकार (Type of information) वर्गाम्यात । (कः क्रांन म विका एवं दूरी सूर ता वर्गर व (41) 1411 (Address) 17 40101 1924 HAN CON EVE 11117 27101 ा । धारा का योगा से बाहर होने की दशा में शक्ति की वांस्थार्थ सुवन्त रामा : का मा राजा तिक मेर असाई मिर (वित प्रविद्युकारी Lett of Jensey of Jensey House in Strang in (H) TEN-fellow (प.) पार्गित संक. चिनंप विधि निर्मय स्थान CHA SHELL 111 = sile 311-1-6 प्राप्त नी भी भंगान अभावाम निका विभालग नाम पुण्यक्षत जिला द्वारा 4600 00 11506

terase p

सुची 47, अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

सनुसं शंतरि

term some fires ' fires arm (3)

मार्थित्या आवात अविष्युक्त का निकला (वरि अवश्वक हो तो अन्य । धन्य नवाल)
(1) निवर्तमान कुल्पप्रीट प्रार्थ जितन्द्र गुण्या कि उत्तर अपराद्योग निवास मार्थित प्राप्ता कि विवास कि विवास निवास मार्थित प्राप्ता मार्थित ए प्राप्ता मार्थित मार

सींदग्ध व्यक्ति को शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

	*लिंग (Sex)	*जन्मतिथ (तिथि/मास/व Date of Bir (Date/Month/	rd) (br	≈शारीरिक गतन (Build)	型 中 (Hei in Ci	म् +वर्ग (Complexic	*ugaga fasi (Identification nearly)
	1	2		3	4	3	-
20 2151 c	Stalled !						
2	/ (De	iता/बिलश्राणता formities/ uliarities)	*शंव (Torth)	rang (Hair)	+ ओ.ज (Eye)	*atted (Habita)	QZ 105 (Dress, Hafat.
6.	.35	7.	8	9	10	- 11	15
ri tr	W Jack				zin		
igur.			1				

+माम/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	न्त्रवेश कृष्ट (Lowedonna)	*fittl	*तम्म रिवा (Scat)	r Yatto
13	14	15	16	Control E	15

यदि परिवादी/इतिला देने वाले पोहित काबित द्वारा सींदर्थ व्यक्ति के संबंध में कोई एक वा अधिर जिल्लिस र जा तथी प्रविद्या को बाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायकार्थ केवल प्रारोधक पूथा। के प्रवासन में में किया जाएंगी

दश प्रकार बनाए गए ओक्टरे खार में किसी राहित्थ क्यांका को विधिन्त मामार्गे. गरि कोई है। में राहण अब कोई आंध्यकुक विभागत किया आए तब पूर्व-संदेश पर किया, जो किए विशा सभी कारों में राहणिया पर ... और तुर्व का किए आएंगे। विश्वविद्यालय कार्यालय से निगरानी थाना काण्ड संख्या- 10/2015 से संबंधित आवश्यक मूल अभिलेख/प्रदर्श/प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने के संबंध में।

सद्यः — कुलसचिव द्वारा पदत मार्ग निर्देश एवं निगरानी अधीक्षक के पत्रांक 346/310क0 दिनाक 30.12.2015।

मुक्षार्थाः

िवदन है कि मैंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में विश्त पदाधिकारी की भारत पर महामहिम कुलाधिपति के आदेश से स्थानातरित होकर दिनाक 30.05.2019 को योगदान! किया था।

मेरे जोमदान के उपरान्त वित्त समिति, क्रथ समिति (जिस्का में पदेन सदस्य (कि. हैं) की स्विच्यमें, कार्यवृत की पुस्तिका एवं तत्सवधी आवश्यक औदितोख की मांग में करता रहा हूं। निगरानी काण्ड संख्या—10/2015 में पुलिस अजिहात कितानी अन्वेक व्या पटना के पत्रांक 345/30क0 दिनांक 22.12.2015 के क्वरा मूल अभिलेख की मांग करने के उपरान्त मैंने कार्यात्म कर्मियों से संबंधित अभिलेख की मांग की।

वित्त समिति की एक संधिका जिसमें 09.97,2015 की बैठक आहूत करने का कुलपति के आदेश के उपशन्त कार्रवाई पूरी नहीं की गयी (सिर्फ सूचना प्रकाशन के अतिरिक्त) कार्यवृत का मूल अभिलेख अद्यंतन अग्रीप्त है। टकित प्रतियों में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध मिर्स है। इसी प्रकार क्रय-विक्रय समिति से सबंधित कोई अभिलेख मुझे देखने को नहीं होंगा है।

ज्ञातव्य हो कि, वर्षे, 2005-2016 के भाउचर के गार्ड फाईल या सादी उत्तर-पुस्तिका अथर्मी 900 अर्थन के क्य/आपूर्ति से संबंधित कोई भी अभिलेख तत्काल लगभग एक सप्ताक, तक सुनाशी करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाया है।

्रेसी प्रेसीत होता है कि निवर्तमान कुलपति डॉ० द्विजेन्द्र गुप्ता, तथा डॉ० आर० पी० बतलू तेंक्लालीन कुलसविव, नितम्बन पश्चात गदस्थापित एव० आर० कॉलंज, मैरवा जो मिन्स्प्री काण्ड संख्या 10/2015 में क्रमश: अभियुक्त एव सह अभियुक्त बनाये गये हैं, "के द्वारा ज़मानत प्राप्त होने के बाद वैसे सारे आवश्यक मूल अभिलेख मायब कर दिये गये जिनकी आवश्यत ता एवं खवयोगिता बाद की सुनवाई के दौरान होनी है।

OF TOUR

Authorization No. 229

नेजदनपूर्वक सुचित करना है कि इस संबंध में माननीय कुनपित को आदेश ज्ञात इस काण्ड को प्राथमिकि वर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि भूल अभिताज प्राप्त जार सारामय निमरानी विभाग को उपलब्ध कराये जा सकें।

पिता का नाम-स्व० रघुनाथ प्रसाद सिंह मोठ-आनन्दपुरी, बीबीगंज, धारा-सदर जिला-मृजयफरपर

(राज किशोर प्रसाद सिंह) वित्त पदाधिकारी जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा नोठ सं०-8676025989

प्रतिलिपि प्रचित-

प्रधान सचिव, राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार पटना।

2 पुलिस अधी तक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी कांड संख्या-10/2016 अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

CCURT FEE

**Zera+Zera+Zera+Zera-Zera-Zera+Fiye

BE in

राजान राज्य क्षार असमा तेण में हुए विश्वेत का कारण :

ा अञ्चलक पराधा सम्पतिसां के क्योर्र (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगावें)

पूर्व तथी अन्यतन्त्र भाषात् सामानियाँ कर कृत मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)

अध्यापाचिक पान् कार क्षेत्र, वरि हो हो (U. D. Case No., if any)

जनिवार्थ के अस्तर्गत् (अस्तर्ग में पना संगार्थ, यदि आवश्यक हो)

Mary on unsaturation

Saran Score Chapra COURTFEE

= 00000005= 00000

BHAR

सूची 47, प्रपत्र सं०-118

(4)



वारि का लिथित आनेप्न जी प्रमुचाए का खून आजार ही का झल घर मारे के साय एव हामा की अन्म के जाग कंगलंडन की

B 2 (4.75 () 3010 your 1318 - 11) EUC MUCH Strate

ही गयों कार्रवाई : चुँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उत्स्तिखत धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अत: कांड राज क्रुमुंसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/ अधिकारिता के प्रश्न पर अंतरित किया 📶 प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पड़कर सुनाबी गयी। उसने उसे सही रूप में ऑधिलिखित किया गया, पाकर स्तीनार क्षया और उसकी एक प्रति परिवादी/मूचनादाता को नि:शुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) w/s as mentioned at Item No., 2 registered the case and took up the investigation / ... to take up the investigation.) **(र्केटो**∕सूचना राता का हस्ताक्षर/अंगृटा का निशान।

बाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

नाप (Name) (अर्थ) (पूर्ण 1913

* Ann-9 * 67 Vi Siance-Cecse No. 10/2014 March Bibarry.
Spy. Case No. 03/15 राज्यपाल सचिवालय, बिहार राजभवन, पटना-800022 Familias - 04-09-2015 /श.स(I). संख्या-जेवचीवयु-21/2014 /2-44

वालीश मेहरोत्रा राज्यपाल के प्रधान सचिव, विहार शासावास, पटमा ।

अंतिक अधीक्षक, निगराजी अञ्चेषण खरूरो चित्रार, पटना ।


देशकात.

विकयः-विधाराजी सामा कोड सं०-०१०/२०१५, दिलांक ३०.०१.२०१५ धारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(थी)आठटवरिव एवं धारा-13(2) सह-पंटित धारा-13(1)(डी)अ०थिएअपिए,1988 के अभियुक्त भी द्विजेन्द्र गुप्ता, खुलपति, जय प्रकार विश्वविद्यालय, छपरा के विरूद्ध धारा 19 स्वविश्वविद्य, 1988 एवं धारा-197 द॰प्र॰स॰ के प्रायधानों के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ।

जिदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रोक-एस०आर० महोदय, -010/2015-विग0-1046/अप0शाo, दिवांस 18.06.2015 के संदर्भ में रहिंचल करना है कि महामहिस राज्यपाल सह-खुलाधिपति, बिहार द्वारा िकाराकी विभाग (अक्टोबन ब्यूरो), बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्बक्त विकारोपरान्त निगरानी द्याना कोंड सं०-०१०/२०१५, दिनांक 30 01 2015 ENG-409/ 420/ 467/ 468/ 477(U)/34/ 1 20(वी)भावरविष्य एवं भारा-13(2) सह-पतित धारा-13(1)(ही) अंग्रिक्तिकारिक, १९८८ के अभियुक्त की द्विजेन्द्र गुप्ता, सुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध धारा 19 अवभिवत्राविव, 1986 पुर्व धारा-197 दनप्रन्यन के प्रायधानों के तहत अभियोजन की स्वीकृति

देने की कृपा की गयी है। आत. तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई हो इस सविवालय को माननीय थुलाधिपति महोदय के सूचनार्य अवगत कराने की कृपा की जाय । विश्वान सभाजन

(अजेश महरोत्रा) राज्यपाल के प्रधान संधिय, बिहार राजभवन, पहला ।



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजधवन, पटना-800022

संख्या-जेवकीवयू-27/2015-1309 त्यास(1).

विनांक 10-09-2015

प्रेयक,

व्रजेश मेहरोबा राज्यपाल के प्रधान संधिष, बिहार राजभयन, पटना।

संवा में.

पुलिस अधीक्षक, निगरामी अन्वेषण व्यूरो बिहार, पटना। Scary Brownight

विषय:-मिगरामी यामा कांड सं0-010/2015, बिनाक 30.01.2015 धारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(वी)मा०द0वि० एवं धारा-13(2) सह-पवित धारा-13(1)(डी)भाग विश्वाधित,1988 के अभियुवत डा० रवि प्रकाश बबलू, समायोगक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, रमातकोत्तर, दर्शन शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरूद्ध धारा 19 भाग कि अभियोगन स्वीकृति हेतु प्रस्ताय ।

निर्देशानुसार उपर्युक्त विश्वयक विभागीय प्रशंक-एस०आर० -010/2015-निग0-1227/अप०शा०, दिनांक 1007 2015 के सेदर्भ में सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल सह-युक्ताक्षपति, निहार द्वारा निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्बद्ध विधारोपरान्त निगरानी वाला कोंड सं0-010/2015, दिनांक 30.01.2015 घारा-409/ 420/ 467/ 468/ 477(ए)/34/ 120(थी)भा०द०वि० एवं घारा-13(2) सह-पवित घारा-13(1)(श्री) भाठवित्र विधारा परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोपोसर, समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोपोसर, स्मायोजक, वर्शन शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, स्मारा के विस्तद्ध धारा 19 भ्राठवित्रअधि०, 1988 एवं धारा-197 व्यवस्था के प्रान्तवान के तहत अभियोजन की स्वीकृति देने की सूचा की मारा है ।

अतः तदनुसार अग्रेसर कार्रवाई की **आय एवं कृत कार्रवाई से** इस सचिवालय को मानंनीय कुलाधिपति महोदय के सूपनार्थ अवगर कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासमाजन १९३१ थि। १९३४ थि। १९४ थि।

* ANN-11 * 69 The - Lours of Spiroudge Visioner North Bibar Visitance Couse No-10/11 Trunablander SP103/15 अनुसूची 47, प्रपन्न संव 122 अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट व्याच एक प्रमुख भीच 33 Copplete Maria (FINAL FORM/REPORT) (इण्ड प्र॰ संहिता की धारा-173/174 के अधीन) 3271891 मार विशेष नियामि न्याक कार्य सम्मानय व (In the court of) - विकास प्राची - माना निरामदानी - वर्ष 2015 - भाषांवको सः 10/15 सः अनिष 30-9-15 (FIR No.) 3. *antia /2-/0-20/5 (Final Report/Charge Sheet No.) (1] *allalage (Nat). 315 72 20 20 1988 *पातरं (2) "व्यक्तिमध्य (Sections) 19 (2) LE - 4/27 (1) (Act) ... भूक कि शिक्ष किश्य -(Sections) 13(1) (5) (३) "अधिनियम - "धावर्ग (Act) 500 50 50 ... [4] "अन्य आधिनवस एवं धाराचे (Other Acts & Sections) (Sections) 409/420/467/468 *भारावं *अतिस प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :— आरोप पश्चसाक्ष्म के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/आतिमें रिपोर्ट संस्थ-पता नहीं रियोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सर्बा/अंतिम रियोर्ट सत्य अपराध उपसासित जिया गुना/अंतिम रियोर्ट-नहीं घटित हुई। (Type of Final Form/Report :- Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/ "पाद अठ रिठ अधारित हो उ—सिक्या/तक्ष्मों को भूल/विधि की भूल/असंग्रेक/दोबानी प्रकृति का GUL R. Unoccured : Fulse/Mistake of Fact/Mistake of law/non-cognizable/Civil Nuture.) (If Charge-sheet-Original/Supplementary) अनुराधान पद्मिकारी का नाम ... अनुनी हो हुना। पदमम उप्रतिक्त (Name of LO) [क] परिवादी/सूधनादाता का नाम. 92 कि. अ. मू. मू. मू. मू. मू. मू. (अ) विश्व अध्यक्षि भागमा स्वर्ग । स्वर अनुसंधान के टींग्रन महामद/अस ऐसी संपत्तिकी/बस्तुओं/दस्ताचेशी का विवर्ष किन पर निर्धर किन्दा गया ही । पदि आवश्यक हो ती अलगसे सम्बन्धि का कर्णन

अस्त ग्रंथ अन्यात का वर्णाव प्रावकातित मृत्य धाना का संपत्ति राजित्य किस से कहा बराधद या निपटाक प्राप्त को प्राप्त को निपटाक प्राप्त के निपटाक के निपटाक के निपटाक प्राप्त के निपटाक प्राप्त के निपटाक प्राप्त के निपटाक के निपटा

A ST NIS

0000

學制

THE STREET

THE REAL PROPERTY.

600	
11.	आरोह शिक्त आधिमुक्त व्यक्तियाँ की विशिष्टियाँ (हरेक अधियुक्त के लिए अलग घना उपयोग में लायें)
20	(Particulars of accused persons charge-sheeted)
* 70) *नाम (Name) (Gallettails of accused persons charge-sheeted)) पिता/पवि का भाग (Gallettails of accused persons charge-sheeted)) जन्म विधि/कर्ष
(61)	Transfer an apa
(iv)	जन्म विधित्वर्षे लिम पुरस्का प्रतिका
(vi)	Street II. (v) august. Med In
1.0	चित्रक प्रकार विशेष व
(will)	पारपत्र स्थित । (४) याद्योपताः । (४) याद्योपताः । (४) ह्यापिताः । (४) ह्यापित
nio.	धर्म किन्द्री देश स्थान प्रतिक्र कार्ति अनुसूचित कार्ति अनुसूचित कार्ति के स्थान स्थान प्रतिक्र कार्ति के स्थान स्थान कार्ति के स्थान स्थान कार्ति के
1000	पेरा स्त्राचित के प्राप्त के प्राप्त के अनुसूचित करियुत्स्वित करियुत्स्वित करियुत्स्वित करियुत्स्वित करियुत्स् स्वर्णाया के प्राप्त करिया
1620	*advariant studies (Provisional Criminal No.)
Chief	'अधिवर्शिक अवस्थि सं (Provisional Criminal No.)
Oxilia	भिष्यमित अपूर्ताच संब (यदि हत्त हो) Regular Criminal No. (if known)
(XiV)	*गिरकारी को तिथि (Date of release on bath)
(xy)	*जमानत पर रिका होने स्त्री विधि (Date of release on bail) *व्यायक्षम्य में आग्रसारण की तिथि (Date on which forwared to Court)
(xvi)	*आपालप में आप्रसारण की तिथि (Date on which forwared to Court) *किन अधिनियमी एवं भाराओं के अधीन (Under Acts & Sections)
(XVII)	*किन अधिनियमी एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections) *जमानतपरिं/प्रतिभृतियमाओं मा नाम और पता
	*अधानतदारीं/प्रतिभूतियाताओं का नाम और पता
(xviii)	[Name(s) of ballers/Sureties and address(es)] ক্ষম দিবলৈ মাজিল মুখ হাঁথ দিনাল্ল
(xix) d	कम निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि अभियुक्त की चरित्रिक्षति (Status of the accused)
	stransfer with a second (Status of the accused)
	artingen of withouth (Status of the accused) constraint on a with at fear-squares and a winn at fear-square advisor it indicated by Police/Bailed by Court's Judicial Character advisor. To accuse a winner of the court of the c
12 0	ति अभिगुक्त वर्गावतयो को विशिवित्सने को आगेष पश्चित नहीं (क्षेत्रक) है। (होक सदित्य काकित के लिए आनग्र में एना आपक्र
. (1	Particulars of accused Persons not charge cheeted (separate sheet for each suspect.)
BP No	tax of health and the second mapped.)
(2) *	नाम (Name) ता/पति का नाम
(11) -19	ता/पति का नामसत्पापित है या नहीं
(m) w	न्म विधि/वर्ष
(VV) - Tel	न्म तिचि/वर्ष रिपंत्र संo
(४३) पा	रपत्र शंo
(VII) \$7	7
(3X). dis	ा(viii) क्या अनुसूचित जात आति के हैं। (xi) पता
	Hauffur & move
(XI) .2	तपविषय अवतित सं (Provisional Criminal No.):
(EE) *41	दिह अनुन्तिदित (Suspicion Approved) (स्थिति) (YekNo) (१०००) (१०००) (१०००) (१०००)
(Hin)	िभयुक्त (संदित्य प्रवासित) का तसः । पुलिस द्वारा जन्मता पर रिक्रण्यापीलय द्वारा जन्मता पर दिक्रण्या पेक अभिरक्ष में तिरुप्तार विकास प्रवासका (Status of the accused Suspect Balled by Balled by Balled by Balled By
-101	किया भा सका (Status of the accused Suspect)(Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Cust, dy/
No.	(arrested) (artested)
X.A. Iska	। अधिनियमों और धाराओं के अधीन. १६-पेंडित नहीं करने के सहरूवें सहिरा कोई विशेष अध्यक्ति
(AY) HIR	प-पश्चित नहीं करने के कारणों समित कोई निरोध अध्युषित
4154	

(3)

निर्मा के किया जिल्ला के की आतीय के किया में मा समये। (Brief Pacts of the Caso) [Add separate Sheet if necessary]	निर्मा के संबंधित संविध्य तथ्य (मदि आवश्यक हो तो अहरत से पना समर्थ । (Brief Facts of the Case) (Add separate Sheet if necessary)	क्रम संव	माम .	पिता/पति का नाम	जन्म तिथित्वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेबाले सा। का प्रकार
ा हुए किया है। स्थान कर के स्थान किया है। स्थान किया स्थान किया है। स्था किया है। स्थान किया है। स्था किया है। स्थान किया है।	मा के जिया का प्राप्त करने किए	1 1	2	3	4	5	6	7
15. प्रयोगशासा विस्तेषण बार परिचास	15. अभीपताला विस्तेषण का परिचास. 16. 'केस में संबंधित संविद्धण राज्य (सदि आवश्यक हो तो असन से पना सनवें । (Brief Pacts of the Case) [Add separate Sheet if necessary]	ी4, पदि प्राची	A	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	मानी भनेता है मिला किला भीयम् मिलानी भीयम् मिलानी भीयम् मिलानी	हरामी क्रिक्ट किल्लीकर किल्लीकर किल्लीकर	Asiralmas	के सम् के सम्
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		16. *फेस से १	भिभित प्रोक्षिप	राष्य (मदि आवश्य	क हो वो असव से पन	i mnž i		Subicial Sub

72 395 386

- 1999 (1991) 375 Bo- 10/2015- C.S. N. - 64/2015 dt. 12-10-15

। । आरोप पवित अभिन्युक्तों की विकिन्दर्वों (इरेक अभिन्युक्त के हि

	2 and once dwell indicated at Siles)
(1)	ाम अर्फ श्री प्रकाश काला सल्याधित है या मही <u>हैं।</u>
(2)	विवा/पति का भाग
(5)	sun Meyard Seems
(4)	1000 Young (5) The Marie 37 Roft 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
(4)	पारपंत्र शंख्या- थिर्मन की विदि
7)	ार्थ १६७५ " (६) क्या अनुद्वाति/अनुद्वाणकाति के है

का समामा मान मिना का का निवास के का निवास कि का निवास कि का कि

विद्यमित आपराधिक संद्या-

Present all this-

(14) वामानत पर रिहा होने की तिथि-

ज्यासालय भे अवस्थारण की तिथि-

(16) विन अधिवियमी एवं धाराओं के अधीन-

(17) असामतदार/प्रतिभृतिदाता था माग एवं पता-

(18) केश भिर्देशी शहित पूर्व दोष शिद्धि-

(१९) अभियुक्त की परिस्थिति- अकसारित/पुलित द्वारा जमानत पर रिहा/क्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उदपोषित अपरापी-

क्रिका जाल) हिमा जाला



		A
		and the Man
The second secon	ADD	
No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		***************************************
	********************************	******************
and the same of th	4. 11	
	washing the said of the said of the said	minimizations.
	7	1
The state of the s	minimum minimum min min min min min min min min min mi	territoria de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composici
44	THE PERSON NAMED IN	1 . 1 . 1 7 . 170
		1 11 1000000
The state of the s	The state of the s	······································
The state of the s	Y	2
An Abinis 180	and a second	PITTOTICE CONTRACTOR
A Commission of the Commission	A STATE OF THE STA	THE RESERVE
. (4.17.00 miles 1.17.00 mil	The street street street street street	doing dry margaret
The second second	4 4 4	The state of the state of
The state of the s	the state of the s	wagining to
	era umbe same un el	
The state of the s	by an approximately the formation	· mairiconomina
	(1) 数数别 2 多中	1000
		····q·································

	the state of the s	
The state of the s		management.
		eritte correct
and the second s	- y	The same of the sa
	A STATE STATE OF THE STATE OF T	
	A-61-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	***************************************
	Ang-francis	
	A	
15 000 5	1 1 - 6 - 1	
2 miles 1 mile	management bearing bearing	Description of the last of the
The state of the s		
	4	
वामिल को गयो नोटिस का निर्देश करें		
	हॉ/नहींतारीख	
(पावती लगई जाएगी) -	1	
	2	
प्रयण विधि	J2/10/J	5
(1000)	अंतिम स्विद्धे आरोप पण द्वित	ाल भारतेवाले
मरेशन हाउस पदाधिकारो/धानन प्रभूती द्वारा जयसारित।	अनुसंधान पदाधिकारी का	27201017 i
- 10	A (2) (1)	
SA TENTON	गम स् माल के मार	
0,1(,4))	S. C. A.	The state of the s
The State Service of	प्राथित अस्तिशिद	to.
The supplied and the supplied in	9	
PIDE AND - 420 C 1811 EVA)	554	
	All Control	
	/	

अनुसूची 47, प्रथन सं0 122 आ0 ह0 प्रयन सं0 32

10.

तो अलग से सूची संलग्न की जा सकती है ।

In Court of Spl. Judge Vigilance North Bihar Muzaffarpur Vigilance Case No. 10/15 Spl. Case No. 03/15

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट

(FINAL FORM/ REPORT)

(दण्ड प्र0 संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

	माननीय विशेष निगरानी न्यायालय
	मुजफ्फरपुरके न्यायालय में
	(in the court of)
1,	*जिला पटना *अनुमंडल *थाना निगरानी *वर्ष 2015*प्राथमिकी सं010/15*तिथि 30/01/2015 (Distt) (S.Div) (P.S.) (Year) (FIR No.) (Date)
2	*अंतिम रिपोर्ट / आरोप पत्र सं0
4.	(1) *अधिनियम (Act)
	(3) *अधिनियम (Act)
	(4) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts & Sections)
	*अंतिम प्रपन्न / रिपोर्ट का प्रकार — आरोप पत्र / साझ्य के अमाव में आरोप—पत्र नहीं दिया गया / अंकित रिपोर्ट सत्य—पता नहीं चला / अंतिम रिपोर्ट सत्य—खोज नहीं हो सकी / अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपसासित किया गया / अंतिम रिपोर्ट – नहीं घटित हुई । (Type of Final Form/ Report - Charge Sheet/ Not Charge Sheeted for want of evidence/ FRT Undetected/ FRT Untraced/ FR Unoccured)
1.	*यदि अं। रिः) अघटित हो :- मिध्या / तथ्यों की भूल विधि की भूल / असंडोय / दीवानी प्रकृति का (If F.R. Unoccure : False/ Mistake of Fact/ Mistake of law/ non-cognizable/Civil Nature)
	*यदि आरोप पत्र हो तो मूल / अनुपूरकः (If Charge-sheet-original/ Supplementary)
	*अनुसंधान पदाधिकारी का नाम_ सुनील कुमारपदनामपुलिस अधीक्षकसं0
	(ख) पिता कर / पति का नाम
	अनुसंबान के दौरान बरामद / जप्त ऐसी संपतियों / वस्सुओं / दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो । यदि आवश्यक ले

क्र.सं.	सम्पति का वर्णन	प्राक्कलित मूल्य (रूपये में)	थाना का संपत्ति रजिस्टर सं0	किससे/कहां बरामद या जप्त की गयी	निपटाव
1	2	3.	4	5	6
	जप्ती सूची के अनुसार जिसका पूर्ण उत्सेख कांड दैनिकी में अंकित है ।	-	-	-	-

(Avanindra Kumar sta)
A. O.R. N. 03548

(i) (ii)	नाम (Name)द्विजेन्द्र गुप्ता पिता/पति का नाम	सत्यापित है या नहीं हीं
(111)		
(iv)		(v) राष्ट्रीयताभारतीय
(vi)		निर्गम तिथि
12.4		J7719 KINS
Actes		
(vii)	4- 16-9	(viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ।
(ix)	पेशा कुलपति (x)	पताजय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
	सत्या	पेत है या नहीं
(10)	औपर्वधिक अपराधि संo (Provisional Criminal No.)	
(xii)	नियमित अपराधि संठ (यदि झात हो) Regular Criminal No	a. (if Known)
(XIII)	गिरक्तारी भी तिथि:	
(xiv)	जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail)	
(xv)	न्यायालय में अग्रनारण की तिथि (Date of which forwards	
(xvi)	किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Section	ns)
(iivx)		
-010000	(Name (s) of bailers/Sureties and address(es))	
(xviii)		
(xix)	अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused) अग्रसारित / पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा / न्यायालय द्वारा जमा- (Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial	नत पर रिहा / च्याविक अभिन्नता में / प्रध्यात्र वाल्योगील आपक्षी
ऐसे अधि	मियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियों जो आरोप पत्रित नहीं (संदिग्दा) है	। (हरेंक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से प्रच्या कावदार में जातें)
(Partici	iculars of accused persons not charge sheeted (Separate sl	heet for each suspect)
京村.		
(i) (ii)	नाम (Name) पिता / पति का नाम	सल्यापित है या नही
(iii)	जन्म तिथि / धर्म	
(iv)	सिंग	(v) राष्ट्रीयता
(vi)	पारपत्र संघ निर्मेन तिथि । धर्म	निर्गम रूपान
(VII) (IX)	पंचा (x) प्राप्त	nii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के है ।
-	[X] 1	पित है या नहीं
(xi)	औपमंत्रिक अपराधि रांठ (Provisional Criminal No.)	770 E 74 70E
(iii)	संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हॉ / मही) (Yes/No)	
(iiix)	अभियुक्ति (सदिन्ध व्यक्ति) का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत	पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/
	गिरफ्तार नहीं किया जा सका । (Status of the accused S	suspect Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody
(xiv)		
2000	आरोप पवित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अध्यक्ति	
(xv)	the state of the s	the contract of the contract o

(Avaninara Kumar 185)
At (. No - 03548

उन साक्षियों की विशिष्टियां जिनकी परीक्षा की जाएगी ।

क्र.सं.	नाग	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री विश्वजीत कुम जिला– धपरा ।	ार चन्देल पिता- श्री निरसु	नारायण सिंह, ग्राम गर्गी	ली, परिवादी धान	I— मशरक	
2.	श्री राम कृष्ण पोद ब्यूरो, पटना ।	दार पिता स्व० राम शरण पं	दिदार, पुलिस उपाधीक्षक	सह ऑबकर्ता f	नेगरानी अन्वेषण	100
3.	श्री नरेन्द्र कुमार,	पुलिस निरीक्षक, निगरानी अ	न्वेषण ब्यरो, पटना ।			
4.	श्री राम हरि प्रसार	द, पुलिस अवर निरीक्षक, नि	गरानी अन्वेषण ब्यरो, पट	ना		
5.	श्री मोहन प्रसाद ।	गर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक,	निगरानी अन्वेषण ब्यरो. १	वटना ।		
6.	श्री दिलीय कुमार	मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, निग । कार्यालय — अनुसंघानकर्ता	रानी अन्वेषण ब्यूरो			
7.		पुलिस आग्रीक्षक, अनुसंघानव		ले पटना ।		

प्रयोगशाला विश्लेषण का प	रिणाम	
	(यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगावें)	
(Brief Facts of the Case	e) (Add separate Sheet if necessary.)	
	संक्षेपनी अलग से संलग्न है ।	

(Avanimenta Kumor 129)
A-OK NO-03548

निगरानी थाना काण्ड संख्या 10/2015 C.S.No.- 64/2015 dt. 12.10.2015

1.	नाम डॉंंं रवि प्रकश वबलू	सत्यापित है या नहीं हाँ
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि / वर्ष	
4.	लिंगपुरूष	
6.	पारपत्र संख्या	निर्गम की तिथि
7.	धर्म हिन्दू 8. क्या अनु०	जाति/अनु० ज०जाति के हैं
9.	पेशा समायोजक महाविद्यालय विकास परिषद-	सह— 10. पता— जय प्रकाश विश्वविद्यालय
	प्रो० स्नातकोतर, दर्शन शास्त्र विभाग	छपरा ।
11.	औपवंधिक आपराधिक संख्या–	
12.	नियमित आपराधिक संख्या-	
13.	गिरफ्तारी की तिथि—	
14.	जमानत पर रिहा होने की तिथि-	न्यायालय द्वारा सम्मन किया
15.	न्यायालय में अग्रसारण की तिथि—	जाय ।
16.	किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन	
17.	जमानतदार/प्रतिभूतिदाता का नाम एवं पता-	
18.	केश निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि-	
19.	अभियुक्त की परिस्थिति— अग्रसारित / पुलिस	द्वार जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा
	ज्मानत पर रिहा / न्यायिक अभिरक्षा में / फरार / जट	

刊0/一 12.10.15

(Avanimativa Kumar 124)
APRINO 03540

		20	
स	च	191	п
31	1.5	131	н.

मिल की गयी नोटिस का निर्देश करें	हों / नहीं नारीका
	हों / नहींतारीख
	E0/-
॥वती लगाई जाएगी)	
बती लगाई जाएगी) जा तिथि80/- 12/10	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल
बती लगाई जाएगी) जा तिथि80/- 12/10	E0/- 12/10/2015
बती लगाई जाएगी) जा तिथि80/- 12/10	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल
वती लगाई जाएगी) न तिथि80/- 12/10	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल
वती लगाई जाएगी) वन तिथि80/- 12/10 शन हाउस पदाधिकारी/धाना प्रभारी द्वारा अग्रसास्ति ।	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर ।
गयती लगाई जाएगी) गण तिथिह0/— 12/10 श्रम हाउस पदाधिकारी/धाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित । म(शिव कुमार झा)	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताखर । नामसुनील कुमार
गयती लगाई जाएगी) ग्य तिथिह0/- 12/10 रेशन हाउस पदाधिकारी/धाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित । ग(शिव कुमार झा)	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताखर । नामसुनील कुमार
गयती लगाई जाएगी) गण तिथिह0/— 12/10 रेशन हाउस पदाधिकारी/धाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित । ग(शिव कुमार झा)	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताखर । नामसुनील कुमार
म	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने वाल अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर । नामसुनील कुमार
गयती लगाई जाएगी) ग्य तिथिह0/- 12/10 रेशन हाउस पदाधिकारी/धाना प्रभारी द्वारा अग्रसारित । ग(शिव कुमार झा)	ह0/- 12/10/2015 अतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने दाल अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर । नामसुनील कुमार

(Avanimary Kumor 19)
ANOTHER BOOK OBSYB

257015 14/10/15

संक्षेपणी

विकासनी बासा कार्य संख्या-अतरोप पत्र संख्या एवं तिथि- 010/2015, fewius-30.01.15, 64/15, 12.10.15

यह काण्ड भी रामध्यूष्ण पोदार, पुलिस उपाचीशक, मिमरानी अभ्वेषण स्पूरो, पटना के जेतुरिय में प्रार्टित जॉबदाल द्वारा समर्पित कॉस प्रतिवेदम दिसोक-27 01.15 के आधार पर रामीशोपराक्षा दर्ज किया जवा है। प्राथमिकी का सार्रांश यह है कि परिवादी भी विश्वजीत कुमार घंटेल द्वार निजरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटमा के पास परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र भेजा जया जिसके आसोक में जॉच करावे जाने पर पाया गया कि प्रोठ दिलेक्ट गुपन, कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, जो इसाप्रामाद के रहने वाले हैं तथा किन्होंने खुलपति का पदभार करण करने के परधात दिखदियालय की परीक्षा खंदासन करने हेतु पर्यापा माना में लगभग 4,34,579/-(बार लाख चीतीस हजार पाँच सी उम्बासी) उत्तर पुरिसका रहाँक में रहते हुए प्राथमिकी एवं आप्राथमिकी के अभियुक्तों साथ आयरुधिक घडवंत्र कर एवं अपने पर का शब्द दुलपदीज करते हुए सदीप लाभ पाने तथा जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को सदीप हानि पहुँचाने की नीयत से इलाहाबाद के एक प्रतिब्दान चन्द्रकला चुनिवर्शल प्रावस्थि को बजैर निविदा आर्मित किये ही अधिक कीमत पर उत्तर पुरितका की आपूर्ति तथा गोपगीय छपाई का आदेश दिया एवं इसी कम में मिथमों का उल्लंपन कर 1,44,88,5497-(एक करोड़ चीवालिस लाख अञ्ज्ञाही हजार पाँच सी उनचास) रूपये का भुगतान किया गया है।

अनुसंधानोपरान्त पाया गया कि इस काण्ड के प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभिगुका (1) बी द्विजेन्द्र गुप्ता, चुलपति जय प्रकाश दिश्यविद्यालय, ७परा, (2) बी दिवारशु कुमार, तत्कालीन परीक्षा निषंत्रक, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, क्षय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (३) श्री जोपाल प्रसाद आर्था, तस्कालीन निदेशक, परीक्षा, सम्पति एशोशिएट प्रोकेसर स्थाकोत्तर मनोपियान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपर, (4) डॉ० अमिला, रमाकोशर हिन्दी विभाग, लय प्रकाश विस्वविद्यालय, छपत, (६) डॉ.० अजीत खुभार विवास, स्वातकोत्तर अर्थशास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (६) प्रीफेसर सरोज युनार दमो, स्नातकोसर राजनीती शास्त्र विभाग, अस प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (७) डॉ० विजय प्रताप थुआर , तत्कालीन कुलरुधिव, त्तय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सम्प्रति आर०बी०जी०आर० व्यंतिल महाराजनंज, सीवान, (६) प्रोठ अगिल कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, सम्प्रति औरएस०डी० (वित्त एवं परीक्षा) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (9) डा० रविप्रकाश वयलु, तत्कालीन समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सन्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (१०) श्री ब्रजविश्शोर सिंह, अधिषद सदस्य सम्प्रति पुस्तकालयाध्यक्ष, जगदम्ब कॉलेज छपरा, (११) श्री सोबेलाल सहनी, वित्त पदाविकारी (12) श्री प्यारे मोठन सहाय, वित्तीय परामशी एवं (13) श्री मुशाना दीक्षित, बिटेशक चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा०लि०, इलाहाबाद को विरुद्ध प्राथमिकी की धाराओं में आरोप का साध्य पाया गया है।

अनुसंधान में पाया गया कि महासीरेश शज्यात विहार, पटना छे प्रजाल-बीवएसवस्त-15/84-8,965-जीवपुराव (१) दिलांख-२०.१२.१६ के आध्यक्ष से बिहार के राजी विश्वविद्यालय के कुलव्येहेंकों को आदेश दिया गया या कि विद्वार अर्थाविश्वविद्यालय बोर्ड अधिनियम १९८१ की धारा-५६%) का अनुपालन करते हुए यन एवं विक्रय समिति का नदन किया जाय। इस अधिक्रियम के ईहत क्रय एवं दिक्य समिति में विशाविद्यालय ने कुलपति प्रदेश

Seen

अध्यक्ष होगें तथा विलीय सलाहकार एवं सिंडिकेट द्वारा घयनित तीन सवस्य होगें साथ वितीय 'पटाधिकारी सदस्य सचिव का कार्य करेगें। उपरोक्त प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी अभियुक्तों द्वार उक्त अधिनियम का अनुपासन नहीं किया गया इसके अलावे विहार वित नियमादली ने दिवे गये प्रावधान तथा विहार विश संशोधन नियमवाली 2005 के नियम 124 से 131 तक के प्रावधानों का उल्लेपन किया गया एवं मननानी प्रविद्धि कर पर का अन्द दुरूपयोग करते हुए अपने हित में अभिलेखा का शक्त किया गया।

इस काण्ड के प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्ती (1) श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (2) श्री दिवानशु खुमार, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, सन्प्रति एशोशिएट प्रोफोसर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (३) श्री गोपाल प्रसाद आर्था, तत्कालीन निदेशक, परीक्षा, सम्प्रति एसोसिएड प्रोफेसर स्नाकोत्तर ननोविज्ञान विभाग, जब प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (4) डॉ० अनिता, स्नाकोत्तर हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (5) हाँ० आजीत कुमार तिवारी, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (६) प्रोफेसर सरीज कुमार वर्मा, स्वातकोत्तर राजनीती शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (१) हॉ० विजय प्रताप कुमार , तत्कालीन व्यलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सम्प्रति आर०बी०जी०आर० कॉलेज महाराजगंज, सीयान, (८) प्री० अबिल व्हमार, तत्कालीन कुलसचिव, सम्प्रति ओ०एस०डी० यित्त एवं परीक्षा) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (9) डा० रविप्रकाश बवल्, तत्कालीन समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, णय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। अतः उपलब्द साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सभी नौ लोकसेवक एवं गैर लोकसेवक श्री सशान विशित, निवेशक चन्द्रकला यनिवर्सल प्रा०ति० के विरुद्ध धारा-13(2) सरुपित यारा-15%)(डी) भवभिवअधिव, 1988 एवं धारा-409/420/467/468/477(ए)/ 34/120(वी) भा०द०वि० के अन्तर्गत सत्य पाया गया एवं आरोप पत्र समर्पित किया। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंघान जारी है।

> पुलिस अधीशक-सह-अनुसंघान पदाधिकारी निगरानी अन्वेषण ध्यूरो, पटना।

Behard by

Com2-1 by

Certified to be the Corry
Authorised VIS to Act 1877,
Henry Clerk

*ANN-12 * 76

/GS(D),

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR

RAJ BHAVAN, PATNA-800022 Letter No.JPU-21/2014- 162-8

Dated - 0 2 - 12 - 2015

CONFUSENTIAL

From.

Brijesh Mehrotra

Principal Secretary to Governor

To.

Sigh, Michhenger

Prof. Dwijendra Kumar Gupia The Vice Chanceltor Jai Prakash University, Chapra.

Sir.

With reference to the show cause vide Governor Secretariat's letter no. JPU-21/2014-1495/GS(I), dated 26.10.2015, I am directed to enclose herewith a copy of the order dated 02.12.2015, passed by Hon'ble Chancellor, Jai Prakash University, Chapra for your information and compliance of the Order, as desired therein.

Encl. Order sheet

Yours faithfully,

Sd/-


(Brijesh Mehrotra)

Principal Secretary to Governor

Dated- 02:12:2015 Memo No.JPU-21/2014- 16 28 /GS(I),

Copy alongwith copy of the order dated 02.12.2015 passed by Hon'ble Chancellor, Jai Prakash University, Chapra forwarded to Principal Secretary Education Dept. Govt. of Bihan/Pro-Vice-Chancellor, J.P. University, Chapra for information and necessary action.

Principal Secretary to Governor



(499)

WHEREAS there were serious allegations of financial irregularities and of criminal misconducts committed/done by Prof. Dwilendra K. Gapta, the Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra for which the Vigilance Investigation Bureau of the State Government had submitted a Preliminary Enquiry Report against Prof. Gupta which lead to the institution of a First Information Report for the offences alleged to have been made under Sections 409, 420, 467, 468, 471, 477(A)/34/120B of the Indian Penal Code and Section 13(2) read with Section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Vigilance Case No. 10/15) against him and subsequently, I accorded sanction of prosecution for the same. Consequently, the Vigilance Investigation Bureau submitted the charge sheet on 12.10.15 (charge sheet no. 64/15) in the Vigilance Court, whereby and whereunder the allegations U/s 409, 420, 467, 468, 477(A)/34/120B of the IPC and the same U/s 13(2) read with Section 13(1)(d) were found to be true.

AND

WHEREAS after careful examination and consideration of the entire facts and circumstances, I had ordered on 26th October 2015 for issuance of a show cause to the Vice Chancellor Prof. Dwijendra K. Gupta under provisions of Section 11(2) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended up to date) which was issued on the same day granting him a fortnight time to submit his explanation/show cause failing which it was to be presumed that he had nothing to say against the charges leveled against him; The said show cause notice was duly served to him on 26.10.2015.

AND

WHEREAS the Vice Chancellor has yet not submitted his explanation/show cause in compliance of the direction of the Chancellor, and , instead of doing so, the Vice Chancellor has sought for certain papers from this Secretariat, most of which has either been given to him

/ Westing



along with the Police Papers, QR for which this Secretariat is not the right place to seek for which is certainly a delay tactic on part of the Vice Chancellor Prof. Gupta to avoid the show cause notice and in such a situation it is assumed that the Vice Chancellor Prof. Gupta has nothing to say;

AND

whereas after careful examination and consideration of the entire facts and circumstances and after perusal of all the materials placed before me, I am of the firm view that the Vice Chancellor Prof. Gupta has failed to discharge the duty imposed upon him by or under provisions of the Bihar State Universities Act, 1976, the Statutes framed there under and the directions issued on behalf of the Chancellor as the head of the University and that he has acted in manner prejudicial to the interest of the University and also he is incapable of managing the affairs of the University and as a consequence of that, action under section 11(1) of the Bihar State Universities Act, 1976 is required to be taken against him.


AND

WHEREAS I have already consulted the State Government in the matter,

I, Ram Nath Kovind, Chancellor, Jai Prakash University, Chapra in exercise of the powers conferred upon me U/s 11(1) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended up to date) hereby direct Prof. Dwijendra K. Gupta, Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra to submit his resignation on 02.12.2015 failing which it shall be deemed as stipulated U/s 11(3) of the Bihar State Universities Act, 1976 that the said Prof. Dwijendra K. Gupta has resigned from his post and the office of the Vice Chancellor, Jai Prakash University. Chapra shall be deemed to be vacant on a regular basis.

Patna Date:02.12.2015 (Ram Nath Kovind) Chancellor

Jai Prakash University, Chhapra



GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR

Fax/Speed Po

RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Letter No. JP11-27/2014-

/GS(1).

Dated

From.

U.K. Choubey Additional Secretary

To.

The Vice Chancellor Jai Prakash University, Chapra.

Sub!- To revert back the services of Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Professor in R.B.G.R. College, Maharajganj.

Sir.

With reference to the subject noted above. I am directed to inform that the Hon'ble Chancellor, after due consideration of the matter has been pleased to order to revert back the services of Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Professor to his parent College i.e. R.B.G.R. College, Maharajganj with immediate effect.

The Compliance report of the order of Hon'ble Chancellor be may immediately under intimation addressed to the Principal Secretary to Governor Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna-800022. His e-mail address is secy-gs-bih@nic.in. Fax number of Principal Secretary Cell is 0612-2786178

Yours faithfully,

Sd/-(U.K. Choubey) Additional Secretary

Memo No. JPU-27/2014- | 595 /GS(I).

Dated 26-11-2014 Copy forwarded to Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Professor

R B G R College, Maharajganj for information and necessary action.



* र्मे अल- 14 * जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुत सांकृत्यायन नगर, छपरा - १४४१३०१, विहार (भारत) JAI PRAKASH UNIVERSITY

YAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel-No.06152-231121(1) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter N. 5996(R)

Dated: 27.11-2014

Not dication

Pursuant to the letter of the Governor's Secretariat, Bihar, Raj Bhavan, Patna, bearing letter no. JPU-27/2014-1595/GS(I), dated 26.11.2014, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to revert back the service of Dr. Ravi Prakash "Babloo", Associate Professor, P.G. Department of Philosophy, Jai Prakash University, Chapra to RB.G.R. College, Maharajganj, Siwan with immediate offect.

However, Dr. Ravi Prakash "Babloo" will continue to discharge the functions and duties of C.C.D.C &: P.R.O. of this University on deputation.

Arthyl Registrar /27 11-14

dated: 27.11-2014

Memo no:- 5996(R) CC. to:-

Teacher concerned

Principal, R. B.G.R. College, Maharajganj, Siwan

Head, P.G. Department of Philosophy, Jai Prakash University, Chapra

Principal Secretary, Governor's Secretariat, Bihar, Patna

Secretary, Department of Education, Bihar, Patna

F.O., Jai Prukash University, Chapra

P.A. to VC/Pro VC/Registrar

for information & necessary action.

ANN-15

स्त्रीय स्थापना के ज्वाराय विकास स्थापना है। इस स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना

मृत्योः स्थाप अपर स्थित

संवा म

कसर्पाद

अयं प्रकारः विश्वविद्यालय

क्रिक्ट प्रकार प्रकार प्रवास क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक

निरंशानुसार उपयुक्त विषयक इस सिवयालय के प्रशंक-कंपी-यू--27/2014-1595 केस-(1), दिनाक 26.11.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय कला परित महारण के आदेशायगन डॉ॰ रिव प्रकाश (बबल्), सहायक प्राप्ट्यापक को सेवा उनके कला परित महारण के आदेशायगन डॉ॰ रिव प्रकाश (बबल्), सहायक प्राप्ट्यापक को सेवा उनके के महाविद्यालय के अप-वी-जी-अहर कॉलेब पहायाग्रंज में वापस किये आने पर्व इस मामल में अनुकारन प्रशादन अविलान इस सिवयालय को उपलब्ध कराये जाने का निरंश दिया गया था। अनुकारन प्रशादन अविलान इस सिवयालय को उपलब्ध कराये जाने का निरंश दिया गया था। अनुकारन प्रशादन की आसिस्वर्य-5996 (आ), दिनोंक 27.11.2014 के माध्यम से दी जवल किया के किया का निरंश की अविलाभ की असिवयान के असिवयान करते के असिवयान के असिवया

्रि मानुनीय जुरर्गापपति महादय द्वारा संपूर्ण मागले पर विचारोपपान दिये गये आदेश के आलाक में कुपया स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिबंदन समर्पित करें कि किस आधार पर प्रतिनियुक्ति का आदेश स्थानान्तरण के बाद किया गया ।

अनुराष्ट्र है कि उपर्युक्त मामले में अपना प्रतिचंदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर माननीय कुट्याधिपति महादय के अयलोकनार्थ इस सचियालय को उपलब्ध कराने की कृपा की

ANNEXURE - 15 (TC)

राज्यपाल सचिवालय बिहार

राजभवन पटना - 800023

पत्रांक जे॰पी॰यू॰ 1660 / रा॰ स॰ (I) दिलांक 24.12.2014

प्रेषक

यु॰ के॰ चौबे अपर सचिव

छपरा ।

सेवा मे.

कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय.

विषय:- डा॰ रवि प्रकाश (बबलू) सहायक प्राध्यापक की सेवा आर॰ वी॰ जी॰ आर॰ कॉलेज महाराजगंज मे वापस किए जाने के उपरांत विश्वविद्यालय मुख्यालय मे समायोजक, कॉलेज विकास परिषद एवं जन-संपर्क पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने के संबंध मे ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के पत्रांक जे॰पी॰यु॰ - 27 / 2014 -1595 रा॰ स॰ (I) दिनांक 24.12.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेशोपरान्त डा॰ रवि प्रकाश (बबलू), सहायक प्राध्यापक की सेवा उनके पैतृक महाविद्यालय आर॰ बी॰ जी॰ आर॰ कॉलेज महाराजगंज में वापस किए जाने एवं इस मामले मे अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब इस सचिवालय को उपलब्ध कराए जाने का निदेश दिया गया था।

विश्वविद्यालय की अधिसूचना - 5996 (आर) दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से डा॰ बबलू का विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही समायोजक, कॉलेज विकास परिषद एवं जल-संपर्क पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया है।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्पूर्ण मामले पर विचाराँपरांत दिए गए आदेश के आलोक में कृपया स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करे कि किस आधार पर प्रतिनियुक्ति का आदेश स्थानांतरण के वाद किया गया ।

अनुरोध है उपर्युक्त मामले मे अपना प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर माननीय कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध करने की कृपा की जाय ।

This is the true Copy of its original.

Numshorters number the Advance.

Aon 03189

विश्वासभाजन ह०/- अस्पष्ट 24.12.2014 (यू॰ के॰ चौबे) अपर सचिव

*ANN-16 * 82

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No - V-C- 537 537

Dated: 09 14 boy

Office Order

In partial compliance of the letter no. IPU-27/2015-1607/2020(t) dated 24.11.2015 of OSD (Judicial) Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna the Hon'ble Vice-Chencellor has been pleased to remove Dr. Ravi Prakash 'Babloo' from the post of Registrar, J. P. University, Chapra relieving him from all the responsibilities such as CCDC and PRO of the University with the immediate effect. He is directed to join his parentorganization R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan.

The Vice-Chancellor has also been pleased to appoint Prof. Ashok Kumar HOD P.G Deptt. of Chemistry as Registrar, J. P. University for interim period till incumbent Registrar is appointed by the Hon'ble Chancellor.

By the order of the Hon'ble Vice-Chancellor

Sd/(S.A. Atta)
Controller of Exams.
& Registrar In Charge
Dated-09. [12.12015]

Memo No.537

Copy forwarded to:

Dr. R. P. Babloo, the present Registrar, J.P.Univ., Chapra

2. Prof. Ashok Kumar, HOD Deptt. of Chemistry, J.P. Univ., Chapra

3 Principal Secretary to the Governor of Bihar, Raj Bhawan, Patna.

4 Principal Secretary, HRD, Govi. of Bihar, Patna.

5. All the Officers of the University

6. All the Dean/Head (P.G. Deptt.) J.P.University, Chapra

All the Principals of J. P. University, Chapra.

8. P.A. to VC/Pro VC.

for information and necessary action.

Controller of Exams. & Registrar In Charge * ANN-17 *

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Speed Post

Letter No.-JPU(Appeal)-13/2016-14/6/GS (I),

Dated-

From.

A.L. Srivastav Officer on Special Duty (Judl.)

To.

The Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra

Sub.: Appeals filed by the teacher namely (1) Dr. Ajit Kumar Tiwary(II)Dr. Anil Kumar(III)Dr. Saroj Kumar Verma(IV)Dr. Gopal Prasad Arya(V)Dr. Anita (VI)Shri Vijay Pratap Kumar(VII)Dr. Dibanshu Kumar and (VIII) Dr. Ravi

Ref.- Hearing held on 27.0 2016.

Sir.

I am directed to invite a reference to this Secretariat's letter no. JPU(Appeal)-13/2016-1298/GS(I), dated 15-07-2016 on the above subject and to enclose herewith a copy of the order dated 28.07.2016 passed by the Hon'ble Chancellor after hearing the concerned parties and the University for information and follow up necessary action forthwith under intimation to this secretariat.

Encl.- As above.

Yours faithfully,

(A.L. Srivastav) Officer on Special Duty (Judl.)

Sayondru'ttearing-lot. Page- 274 -

File No.- JPU-12/2016

Dr. Saroj Kumar Verma vs. J.P. University, Chapra File No. - JPU-28/2016

Dr. Anil Kumar vs. J.P. University, Chapra File No. - IPU-11/2016

Dr. Ajit Kumar Tiwari vs. J.P. University, Chapra File No. - [PU-21/2016

Dr. Gopal Prasad Arya vs. J.P. University, Chapra File No - JPU-13/2016

> Dr. Anita vs. J.P. University, Chapra File No. - JPU-25/2015

Dr. Dibanshu Kumar vs. J.P. University, Chapra File No. - JPU-26/2014

Dr. Vijay Pratap Kumar vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-27/2014

Dr. Ravi Prakash, 'Babloo' vs. J.P. University, Chapra Order

28.07.2016

Since aforementioned all appeals relate with the suspension of the oppoliants, hence for the sake of convenience all appeals are being decided by the and same order.

Facts of the cases in brief are that by an order contained under Memo No. 7254/R dated 19.12.2015, seven appellants were put under suspension with immediate effect by the authority under University. And by another order contained under Memo No. 7255/R dated 19.12.2015 the appellant Dr. Ravi Prakash 'Babloo' was put under suspension with immediate effect.

In both the orders it was stated that in compliance with the order of His Excellency the Governor-cum-Chancellor, J.P. University, Chapra contained in the letter of Sri A.L. Srivastav, O.S.D.(Judicial), bearing No. 1PU-27/2015-1607/GS[1]

dated 24.11.2015, the Vice Chancellor under Section 69(4) of the Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date, decided to place the appellants under suspension.

The appellants vide their Memo of appeals denied the allegations levelled against them and challenged the legality of impugned order of suspension and prayed for its quashing, mainly on the ground that the impugned orders of suspension are against the provisions of the B.S.U. Act and its Statute.

The University in its reply submitted that under direction of this Secretariat the appellants were put under suspension. The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceedings against the appellants and the committee was of the opinion that, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated/selection/appointed to any statutory body/committee of the University till the pendency of the case in Hon'ble High Court. Also they may be transferred to other colleges/departments as punitive major after revocation of their suspension".

The University further submitted that an F.I.R. was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files.

Point for consideration:

Whether the orders of suspension contained in Memo No. 7254/R and 7255/R dated 19.12.2015 are valid and legal?

The impugned orders show that in compliance with the order of this Secretariat dated 24.11.2015, the Vice Chancellor decided to put the appellants under suspension. But from bare perusal of the contents of the letter dated 24.11.2015 issued under the sign of O.S.D.(Judicial), it appears that consequent upon submissions of the charge sheet against the appellant in Vigilance Case No. 10/2015, the Vice Chancellor, J.P. University, Chapra was asked to take disciplinary action against the appellants against whom the charge sheet has been submitted by the Vigilance.

The files reveal this fact that without initiating any disciplinary proceedings demanding any show cause to the appellants the authority under University put them under suspension, which is against the principle of natural justice as well as Clause 10 of General Conditions of Service of employees.

Clause 10(1) of the aforementioned statutory reads as follow:-

"A University servant should be placed under suspension for reasons to be recorded in writing and while doing so the following principles may be observed:-

- (i) If a University servant is being prosecuted on a criminal charge, he should be placed under suspension if he has been refused bail by the court and has been committed to prison.
- (ii) In cases of criminal prosecution, a University servant should be suspended if the charge against him is such that on being found guilty of it, he is likely to be sentenced to a term of imprisonment, or on which he would be dismissed or removed from service, in a departmental enquiry In such cases however the order of suspension need not be passed in every case immediately after cognizance has been taken. In suitable cases it may be passed after charges have been framed".

It is to be mentioned here that during course of hearing it became clear that all the appellants were enlarged on bail and they were never in jail custody for a moment and the Vigilance Case is still pending before the Court.

In support of their contention the counsel for the appellants filed a copy of decision reported in 2011(1) PLJR, 453.

In the instant case the Hon'ble High Court, Patna has been pleased to observe that, "In the present, the documents indicate that when the suspension order was issued, no departmental proceeding has been initiated. Clause 10(ii) of the statute is very specific, that once a departmental proceeding is initiated and prima facie evidence is there, in support of the severe charges, suspension order can be issued. The departmental proceeding is presumed to have been initiated when charges are framed and served on the delinquent. The Enquiring and Conducting Officers are appointed, head office of the delinquent is fixed and the order is passed.

regarding payment of subsistence allowance. Unless these formalities are done, it cannot be said that departmental proceeding has been initiated".

The record shows that the impugned orders of suspension had not been issued subsequent to initiation of any departmental proceeding. Moreover, there is no dispute that on the date of issuance of suspension order the departmental proceeding was not initiated.

Therefore, considering the above facts and circumstances of the matters. I am of this view that the authority under University had no jurisdiction to issue orders of suspension contained under Memo No. 7254/R & 7255/R dated 19.12.2015 which is in violation of statutory provision as well as in violation of principles of natural justice.

Accordingly, the impugned orders of the suspension issued against the appellants are not sustainable and hence the same are quashed. Consequently the suspension orders of the appellants are revoked from the date of their suspension.

The authority under University is directed to notify this order positively by 30th July. 2016.

(Ram Nath Kovind)

Chancellor of the Universities .

Date: - 28.07.2016

* ANN-18 *

जय प्रकाश विश्वविद्यालय



राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel. No. 06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.- Dated:-

Office Order

University Chapta, contained in the letter of Sri A. L. Shrivastav OSD(J) hearing No. TPU-27-2015-1607/NT-N.(1) dated 24.11.2015, the Hon'ble Vice-Chancellor, under section 69(4) of Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date has been pleased to place following employees under suspension with immediate effect.

During suspension period they are attached to the colleges stated against their names where they are required to report daily.

5.No.	Names	Places where attached
1.	Dr. Ajeet Kumar Tiwari, Dept. of Economics, J. P. University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2/	Dr. Saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daudpur
3.	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J. P. University, Chapra, Dept. of Physics, J. P. University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4.	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam., Dept. of Psychology, 1. P. University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5.	Dr. Anita Dept. of Hindi, J. P. University, Chapra	Y.N. Coilege, Lighwara
6.	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J. P. University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H.R.College, Amnour
7.	Dr. Dibanshu Kumar Ex Controller, J. P. University, Chapra Dept. of Sanskrit, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daudpur
		Sd/-
		(Dr. Ashok Kumar)

Memo No. 7.2.54. R

Copy forwarded to :

1. Persons concerned

Principals, concerned Colleges

Principal Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna

4. Dr. A. L. Shrivastav OSD(J), Raj Bliawan, Patna

5. All Officers of the University

6. F.A. J. P. University, Chapra

7. F.O., J. P. University, Chapra

 P.A. to VC/Pro VC/Registrar, J. P. University, Chapra for information and necessary action.

Registrar

Registrar

Dated -.. 18 12 115

1



राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No -7912-EST-IR

Date: 30.07 2016

Memo No .-

Date

Copy forwarded to :

- 1. Person concerned
- 2. Principal concerned colleges
- 3. Mr. A. L. Shrivastava, OSD(J), Raj Bhawan Patna
- 4. All Officers, J. P. University, Chapra;
- 5. F.A., J. P. University, Chapra
- 6 P.A. to Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor/Registrar, J. P. University, Chapra: for information and necessary action.

Registrar

column in

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राह्त संस्कृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA - 841301, BIHAR (INDIA)

	Tel No. 06152 - 233121 (O) 233509 (R) FAX - 0	6152-233507 (O)
Letter N	9	Dated
	Office Order	
	In compliance of the order of His Excellency the Govern	or = cum - Chancellor, J.P.University,
Chapra	contained in the letter of Sri A.L.Srivastava OSD (J)beari	ng No. JPU-27 – 2015 – 1607 / रा•स•
(1) date	ed 24.11.2015, the Hon'ble Vice Chancellor, under section	69(4) of Bihar State Universities Act,
	amended upto date has been pleased to place the follow ate effect.	ing employees under suspension with
	During suspension period they are attached to the colleges	stated against their names where they
are requ	ired to report daily.	
S.No.	Names	Places where attached
1	Dr. Ajit Kumar Tiwari	Gopeshwar College, Hathwa
	Dept. of Economics, J.P.University, Chapra	COCOTOCO AND SECTION OF
2	Dr. saroj Kumar Verma	N.L.S.College, Daudpur
	Dept. of Pol. Science, J.P.University, Chapra	
3	Prof. Anil Kumar	Narain College, Goreakothi
	Ex-Registrar, Ex OSD, J.P.University, Chapra	
4	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam. Dept.of Psychology, J.P.University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5	Dr.Anita Dept.of Hindi, J.P.University, Chapra	Y.N.College, Dighwara
6	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J.P.University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H.R.College, Amnour
7	Dr. Dibanshu Kumar, Ex Controller, J.P.University, Chapra, Dept. of Sanskrit, J.P.University, Chapra	N.L.S.College, Daudpur
		Sd/-
		(Dr. Ashok Kumar)
		Registrar
Memo N	No. 7254 (R) Dated 19	
Copy for	rwarded to :	1777
1.	Persons concerned	
	Principals, concerned Colleges	
	Principal Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan. Pa	etna
	Dr. A.L.Srivastava OSD (J), Raj Bhawan, Patna	
	All Officers of the University	
6.	F.A., J.P.University, Chapra	
7.	F.O. J.P.University, Chapra	
8.	P.A. to VC / Pro VC / Registrar, J.P.University, Chapra	
	for information and necessary action.	Sd/-

True copy of its original.

Pumshofan Kuma fle
Advante
Aon 03189

19/12/15

(89)

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA - 841301, BIHAR (INDIA) Tel No. 06152 - 233121 (O) 233509 (R) FAX - 06152- 233507 (O)

Letter No. 7912 - EST - I (R)

Dated 30.07.2016

Memo No.

Dated

Copy forwarded to :-

- Persons concerned
- Principals, concerned Colleges
- Mr. A.L.Srivastava OSD (J), Raj Bhawan, Patna
- 4. All Officers of the J.P.University, Chapra
- F.A., J.P.University, Chapra
- 6. P.A. to Vice Chancellor / Pro Vice Chancellor / Registrar, J.P.University, Chapra for information and necessary action.

Sd/- Illegible 30/7/16 Registrar

Sd/- Illegible 30/7/16

Et is the true loping of its original.

Purnshottan human the Advocate Advocate Advocate Advocate



राहुल सांकृत्यायन नगर. छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel.No.06152-233121(Ol 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No. 7912-ES+ I (R)

Date: 30.07-2016

Notification

In compliance with the order of the Hon'bie Chancellor as contained in Governor's Secretariat letter no. JPU(appeal-13/2016-1416/GS(1) dated 28.07.2016 the Vice-Chancellor has been pleased to revoke the suspension of the following teachers from the date of their suspension.

S.No.	Name	Colleges where headquarters
	Dr. Ajeet Kumar Tiwari Dept. of Economics, J.P. University, Chapra	fixed earlier Gopeshwar College, Hathwa
2.	Dr. Saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J. P. University, Chapra	Rajendra College, Chapra
J.	Ex-Registrar, Ex OSD, J. P. University, Chapra Dept. of Physics, J. P. University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4:	Sri. Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam., Dept. of Psychology. J. P. Uni. preity, Chap.a.	R.B.G.R. Cultege, Maharajgang
5. 6.	Dr. Anita, Dept. of Hindi, J. P. University, Chapra Dr. Bijay Pratap Kumar Ex-Registrar, J. P. University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	Y.N. College, Dighwara H. R. College, Amnour
7.	Dr. Dibaeshu Kumar Ex-Controller, J. P. University, Chapra Dept. of Sanskrit, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daupur
	Dr. R. P. Babloo Ex-Registrar, J. P. University, Chapra Dept. of Philosophy, J. P. University, Chapra	H. R. College, Mairawa

Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect until further order to the colleges where their hendquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above.

Sd/-Registrar

Chettimart

Dort

30711



राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA) Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No - 7912 - EST- I (R)

Date: 30.07 2016

Memo No .-

Date

Copy forwarded to :

- 1. Person concerned
- 2. Principal concerned colleges
- 3. Mr. A. L. Shrivastava, OSD(J), Raj Bhawan Patna
- 4. All Officers, J. P. University, Chapra;
- 5. F.A., J. P. University, Chapra
- P.A. to Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor/Registrar, J. P. University, Chaprafor information and necessary action.

Registrar

DO TE

ANNEXURE - 18 (TC)

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA – 841301, BIHAR (INDIA) Tel No. 06152 – 233121 (O) 233509 (R) FAX – 06152- 233507 (O)

Letter No. 7912 - Est I(R)

Dated 30.07.2016

Notification

In compliance with the order of the Hon'ble Chancellor as contained in Governor's Secretariat letter no. JPU (appeal-13/2016 - 11416 / GS (1) dated 28.07.2016, the Vice Chancellor has been pleased to revoke the suspension of the following teachers from the date of their suspension.

S.No.	Names	Places where attached
1	Dr. Ajit Kumar Tiwari Dept. of Economics, J.P.University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2	Dr. saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J.P.University, Chapra	Rajendra College, Chapra
3	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J.P.University, Chapra Dept. of Physics, J.P.University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam. Dept.of Psychology, J.P.University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5	Dr.Anita Dept.of Hindi, J.P.University, Chapra	Y.N.College, Dighwara
6	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J.P.University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H.R.College, Amnour
7	Dr. Dibanshu Kumar, Ex Controller, J.P.University, Chapra, Dept. of Sanskrit, J.P.University, Chapra	N.L.S.College, Daudpur
8	Dr. R.P.Babloo Ex – Registrar, J.P.University, Chapra Dept. of Philosophy, J.P.University, Chapra	H.R.College, Mairwa

Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect until further order to the colleges where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above.

Sd/-Registrar

(91)

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA – 841301, BIHAR (INDIA)||||||| Tel No. 06152 – 233121 (O) 233509 (R) FAX – 06152- 233507 (O)

Copy forwarded to :-

- 1. Persons concerned
- 2. Principals, concerned Colleges
- 3. Mr. A.L.Srivastava OSD (J), Raj Bhawan, Patna
- 4. All Officers of the J.P.University, Chapra
- 5. F.A., J.P.University, Chapra
- P.A. to Vice Chancellor / Pro Vice Chancellor / Registrar, J.P.University, Chapra for information and necessary action.

Sd/- Illegible 30/7/16 Registrar

Sd/- Illegible 30/7/16

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

VAKALATNAMA FOR PETITIONER

CWIC No.

of 2021

Rajan Kumar

Petitioner

VERSUS

The Chancellor of Universities & Others

Respondents

Know all men by those Presents by this Vakalatnama

I / We

Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex – Male, S/o Jitendra Singh, R/o village – Jagdishpur, P.O. + P.S. – Maharajganj, District – Siwan, Pin Code - 841238.

Do here by

Appoint the advocates noted below in the margin or any of Them as my / our lawful Advocate in the above mentioned case for appearing, conducting and arguing the same or depositing or withdrawing any money in connection therewith or putting in papers petition etc. On my / our behalf filling or taking back any document or withdrawing suit appeal or application with permission to institute fresh suit etc and make compromise and for referring the case for arbitration and for doing all acts that be necessary to be done in connection with said acts. I / We, further say that any act done by my / our said Advocate or any one of them after accepting this Vakalatnama shall be considered of my / our true and lawful act and shall bind on me / us.

Mr. Purushottam Kumar Jha, Advocate.

Mr. Avanindra Kumar Jha, Advocate.

Mr. TITENDRA ACHARYA, Advoute

To the above effect I / We execute this Vakalatnama Dated 06.07.2021



राजन जुमार

Received vakalatnama through the executant and accepted the same.

(PURUSHOTTAM KUMAR JHA)

ADVOCATE

A.O.R. No. 03189

Chamber No. 39, B.B.C.B.

Patna High Court, Patna.

Mob. No. 09431043413

Avanindra Kumar Sha

(AVANINDRA KUMAR JHA)

ADVOCATE

A.O.R. No. 03548

Chamber No. 39, B.B.C.B.

Patna High Court, Patna.

Mob. No. 09199427875

Liferdon Actory of (Villedon Actorya) Administe A OR No. - BR/D-675/1998 And: - Do as above Mobile No - 9801791281